मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने पत्र संख्या SEBI/HO/MRD/MRD-RAC-1/P/OW/2025/000026134/1 दिनांक 07 अक्टूबर 2025 के माध्यम से, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX and Exchange) के उपनियमों (Bye & laws) में संशोधन को, जो एक्सचेंज द्वारा अपने पत्र संख्या MCX/SEBI-001/CCO/2025 दिनांक 03 जून 2025 के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था, स्वीकृति प्रदान की है। सेबी द्वारा स्वीकृत एक्सचेंज के उपनियमों में संशोधन निम्नलिखित हैं तथा ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की उप–विधियां

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित उप–विधियां बनाता है, अर्थात् :–

1. प्रस्तावना

1.1 इन उप–विधियों को "मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई की उप–विधियों" के रूप में जाना जाएगा और संक्षिप्तता और सुविधा के लिए इन्हें "उप–विधियों" के रूप में जाना जाएगा।

1.2 उप–विधियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसके बाद "सेबी" के रूप में संदर्भित) या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "एक्सचेंज" या एमसीएक्स के रूप में संदर्भित) ऐसी तारीख से लागू करने को अधिसूचित कर सकता है।

1.3 ये उप–विधियां प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (इसके बाद "एससीआरए" के रूप में संदर्भित) और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे। इन उप–विधियों को हर समय एससीआरए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, समय–समय पर संशोधित और निर्देशों, आदेशों, दिशानिर्देशों, मानदंडों और भारत सरकार और/या सेबी द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अधीन पढ़ा जाएगा।

1.4 एससीआरए की प्राथमिकता और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम/सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम

एससीआरए, सेबी और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों पर प्राथमिकता दी जाएगी। एक्सचेंज की किसी भी उप–विधि, नियम और व्यावसायिक नियमों के प्रावधानों और एससीआरए के प्रावधानों एव उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों/सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के बीच अंतर के मामले में, एससीआरए के प्रावधान एवं नियम और विनियम तथा इसके तहत/सेबी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम मान्य होंगे।

1.5 एक्सचेंज ट्रेड और ट्रेड से संबंधित पहलुओं को विनियमित करने के लिए समय–समय पर नियम और व्यवसाय नियम जारी करता है। इस प्रकार जारी किए गए नियम और/या व्यवसाय नियम इन उप–विधियों की तरह ही बाध्यकारी होंगे।

ification: Restricted

2. परिभाषाएं

2.1 जब तक कि संदर्भ में स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, यहां उपयोग किए गए लेकिन यहां परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो निम्नलिखित में निर्दिष्ट हैं :

2.1.1 एससीआरए और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम एवं सेबी अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।

2.1.2 कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम, और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 ।

2.1.3 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियम, व्यवसाय नियम/विनियम, ज्ञापन और संगम अनुच्छेद।

2.1.4 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा जारी उप–विधियां, नियम और व्यवसाय नियम/विनियम।

2.2 यदि किसी शब्द को ऊपर सूचीबद्ध एक से अधिक स्रोतों में परिभाषित किया गया है, तो उस कानून में परिभाषित उसका अर्थ, जो यहां ऊपर उल्लिखित अन्य स्रोतों से पहले है, मान्य होगा, जब तक कि संदर्भ में स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो।

2.3. उप–विधियों के संबंध में, यदि विषय या संदर्भ के साथ असंगत या प्रतिकूल नहीं है, निम्नलिखित शब्दो ंऔर अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो नीचे दिया गया है :

2.3.1 "अमेरिकन स्टाइल विकल्प संविदा" का अर्थ एक विकल्प संविदा है जिसका प्रयोग समाप्ति दिवस पर या उससे पहले किसी भी दिन किया जा सकता है। अमेरिकन स्टाइल विकल्प संविदा का अर्थ एक विकल्प संविदा है जिसका प्रयोग समाप्ति दिवस पर या उससे पहले किसी भी दिन किया जा सकता है।

2.3.2 "असाइनमेंट" का अर्थ है एक विकल्प संविदा का आवंटन, जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दायित्व की पूर्ति के लिए, एक ही विकल्प संविदा में एक छोटी स्थिति के लिए, एक ही स्ट्राइक मूल्य पर किया जाता है।

2.3.3 "अनुमोदित कार्यालय" का अर्थ ह ैसदस्य का पंजीकृत कार्यालय, जिसमें ऐसे परिसर या कार्यालय शामिल है ंजहां से सदस्य को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार करने और/या बैक–ऑफिस गतिविधियों को करने की अनुमति एक्सचेंज द्वारा दी जाती है।

2.3.4 "अनुमोदित उपयोगकर्ता" का अर्थ है एक्सचेंज द्वारा अनुमादित ट्रेडिंग सिस्टम में व्यापार के लिए एक्सचेंज की अनुमति से अपनी विशेष व्यवस्था में किसी सदस्य द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्ति।

2.3.5 "अनुच्छेद" का अर्थ है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के संगम अनुच्छेद और इसमें फिलहाल लागू होने वाला कोई भी संशोधन या परिवर्तन शामिल है।

2.3.6 "अधिकृत व्यक्ति" का अर्थ है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे एक्सचेंज के अनुमोदन पर किसी सदस्य द्वारा एक्सचेंज के सदस्य के एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2.3.7 "आधार न्यूनतम पूंजी" का अर्थ है सदस्यों से अपेक्षित एक्सपोजर मुक्त जमा, जैसाकि एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2.3.8 "आधार" किस्म या ग्रेड किसी वस्तु के लिए मानक किस्म या ग्रेड का वर्णन है जिसे एक्सचेंज में उसके वायदा संविदा में व्यापार करने की अनुमति है जैसाकि एक्सचेंज के नियमों और/या विनियमों में निर्धारित संविदा विनिर्देशों में निर्दिष्ट है और जो बिना किसी "चालू" या "बंद" छूट के डिलीवरी योग्य है।

2.3.9 "बोर्ड" का अर्थ है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का निदेशक मंडल और इसे शासी बोर्ड के रूप में जाना जा सकता है।

2.3.10 "खातों की किताबें, रिकॉर्ड और दस्तावेज" में खातों की किताबें, रिकॉर्ड और दस्तावेज शामिल है ंजिन्हें एससीआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन की उप–विधियां, नियम और व्यवसाय नियम/विनियम और इसमें कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूपमें रखे गए रिकॉर्ड शामिल हैं।

2.3.11 किसी सदस्य के संबंध में "शाखा कार्यालय" का अर्थ है शाखा के रूप में वर्णित कोई भी प्रतिष्ठान, या ग्राहकों के कार्यालयों के अलावा, प्रधान कार्यालय द्वारा की जाने वाली समान या काफी हद तक समान गतिविधि करने वाला कोई भी प्रतिष्ठान।

2.3.12 "खरीद आदेश" का अर्थ एक्सचेंज पर कारोबार किए गए संविदा को खरीदने का ऑर्डर है।

2.3.13 "खरीदार" का अर्थ है और इसमें शामिल है, जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे, खरीदने वाला ग्राहक, खरीदने वाला सदस्य या तो खरीदने वाले ग्राहक की ओर से एक एजेंट के रूप में कार्य करता है या सदस्य के

ification: Restricted

स्वयं के खाते पर खरीदता है।

2.3.14 "उप–विधियों" का अर्थ एक्सचेंज की उप–विधियां हैं।

2.3.15 "व्यवसाय नियम/विनियम" का अर्थ है एक्सचेंज के कुछ समय के लिए लागू व्यवसाय नियम/विनियम और इसमें परिचालन के लिए समय–समय परसम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आचार संहिता/आचरण/शासन, परिपत्र, नोटिस और ऐसे अन्य विनियम शामिल हैं। एक्सचेंज के और ये एससीआरए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी द्वारा जारी निर्देशों और उप–विधियों और नियमों के अधीन होंगे।

2.3.17 "नकद निपटान संविदा" का अर्थ डेरिवेटिव में एक संविदा है जिसका निपटान अंतर्निहित की डिलीवरी के बजाय नकद निपटान द्वारा किया जाएगा।

2.3.18 "प्रमाणित गोदाम" का अर्थ एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित/अनुमोदित नामित गोदाम है और जिसमें भंडारण का कोई भी स्थान, गोदाम, गोदाम, टैंक, कोल्ड स्टोरेज, साइलो, स्टोरहाउस, वॉल्ट या किसी भी प्रकार की भंडारण सुविधा शामिल है, चाहे वह एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित अस्थायी या स्थायी हो। एक्सचेंज पर व्यापार के परिणामस्वरूप संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए भंडारण या डिलीवरी करने और वस्तुओं की डिलीवरी लेने के लिए इसके द्वारा अधिकृत और नामित कोई भी एजेंसी।

2.3.19 "क्लियरिंग कॉरपोरेशन" का अर्थ है एक इकाई यानी एमसीएक्स सीसीएल या कोई अन्य इकाई जो प्रतिभूतियों या अन्य उपकरणों या उत्पादों में ट्रेडों के समाशोधन और निपटान की गतिविधि करने के लिए नियुक्त/लगाहै, जिनका एमसीएक्स पर लेनदेन या कारोबार होता है।

2.3.20 "एक्सचेंज पर प्रभावित लेनदेन के निपटान के संबंध में समाशोधन डिलीवरी" का अर्थ है एक्सचेंज के उप–विधियों, नियमों और विनियमों में निर्धारित तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से डिलीवरी द्वारा ऐसे लेनदेन का समाशोधन और निपटान करना है।

2.3.21 एक्सचेंज के संबंध में "क्लियरिंग सदस्य" का अर्थ अनुमोदित क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ पंजीकृत व्यक्ति है।

2.3.22 "ग्राहक/संघटक" का अर्थ एक व्यक्ति/संस्था है, जो एक्सचेंज के सदस्य के साथ पंजीकृत है और/या जिसके निर्देश पर और जिसके खाते में एक्सचेंज पर ऑर्डर/सौदा दर्ज किया गया है।

2.3.23 "समिति" का अर्थ शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई भी समिति है।

2.3.24 "कमोडिटी डेरिवेटिव" का वही अर्थ है जो एससीआरए की धारा 2 (खग) में दिया गया है।

2.3.25 "कंपनी" का अर्थ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इसे एमसीएक्स या एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाएगा।

2.3.26 "संविदा माह, डिलीवरी माह, संविदा अवधि" का अर्थ वह महीना है जिसमें एक्सचेंज पर कारोबार किए गए संविदाओं के संबंध में संविदात्मक दायित्वों को संविदा के पक्षों द्वारा पूरा किया जाना है।

स्पष्टीकरण : इन उप–विधियों में संविदा महीनों को 'संविदा' के रूप में संदर्भित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मई के महीने में निपटान के लिए वायदा संविदा को मई संविदा के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

2.3.27 "संविदा" का अर्थ एक्सचेंज पर कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों या कमोडिटी डेरिवेटिव की खरीद या बिक्री के लिए या उससे संबंधित संविदा।

2.3.28 "क्रॉस डील्स" का अर्थ है और इसमें वे सौदे शामिल हैं जिनमें एक ही एक्सचेंज सदस्य किसी सौदे के खरीद और बिक्री दोनों पक्षों पर है और जहां खरीद और बिक्री के आदेश ऐसे समय के भीतर दर्ज किए गए हैं, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है और जहां दोनों ऑर्डर की कीमत समान है और जहां मात्रा काफी हद तक समान है।

2.3.29 "दैनिक आधिकारिक सूची" का अर्थ है एक्सचेंज द्वारा या उसके अधिकार के तहत जारी इलेक्ट्रानिक मोड सहित किसी भी मोड में प्रकाशन, जिसमें किसी भी दिन कारोबार किए गए संविदा की कीमतों और मात्राओं का विवरण और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है।

2.3.30 "डिलीवरी केंद्र" वे केंद्र हैं जहां एक्सचेंज पर व्यापार के लिए अनुमत वस्तुओं को विक्रेता द्वारा डिलीवरी ऑर्डर जारी करने/डिलीवरी के माध्यम से अपनी बकाया शॉर्ट ओपन स्थिति के विरूद्ध डिलीवरी की जा सकती है।

2.3.31 "डिलीवरी ऑर्डर" का अर्थ है एक विक्रेता द्वारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के निर्धारित फॉर्म में जारी किया गया एक ऑर्डर है जो एक समाप्त संविदा के खिलाफ अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक या अधिक अनुमत डिलीवरी केंद्रों पर माल की डिलीवरी की पेशकश करता है।

2.3.32 'डिलीवरी ऑर्डर दर' का अर्थ वह दर है जिस पर निर्दिष्ट निविदा दिवस या संविदा समाप्ति तिथि पर डिलीवरी ऑर्डर/डिलीवरी आवंटित की जाएगी।

स्पष्टीकरण : समाप्ति तिथि पर डिलीवरी ऑर्डर दर नियत तिथि दर (डीडीआर) होगी।

2.3.33 "डिलीवरी" का अर्थ है किसी संविदा के निपटान में गोदाम रसीदों/या माल या सुरक्षा के स्वामित्व के किसी अन्य दस्तावेज की निविदा और रसीद।

2.3.34 "डिलीवरी अवधि मार्जिन" का अर्थ है सदस्य द्वारा भुगतान पूरा होने तक डिलीवरी के लिए चिन्हित लंबे और छोटे पदों पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा लगाया गया मार्जिन। एक बार डिलीवरी अवधि का मार्जिन लगने के बाद, अन्य सभी लागू मार्जिन जारी किए जा सकते हैं।

ification: Restricted

2.3.35 "डिलीवरी अवधि" का अर्थ वह अवधि है जिसके दौरान एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के तहत प्रतिभूतियों को संविदा के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। उनमें से कोई भी, और विभिन्न संविदा महीनों के लिए एक्सचेंज द्वारा निर्धारित संविदा दिवस शामिल हैं।

2.3.36 "नियत तिथि/संविदा समाप्ति दिवस/संविदा परिपक्वता दिवस" का अर्थ परिपक्वता तिथि (अंतिम दिन) है जिस पर किसी विशिष्ट वस्तु या सुरक्षा में एक विशिष्ट संविदा समाप्त हो जाती है और उसके बाद व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

2.3.37 "नियत तिथि दर" का अर्थ हे एक संविदा माह में सभी बकाया संविदाओं को नियत तिथि पर चुकता करने (समाप्त करने) के लिए निर्धारित निपटान मूल्य, जो डिलीवरी देने या लेने से पूरा नहीं होता है।

2.3.38"एक्सचेंज" का अर्थ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है जिसे इसके बाद संक्षिप्तता के लिए एमसीएक्स या एक्सचेंज के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

2.3.39 "एक्सचेंज प्रमाणित/अनुमोदित/पैनलबद्ध/मान्यता प्राप्त/नामित/नियुक्त परखकर्ता" का अर्थ है समय–समय पर जारी प्रासंगिक संविदा विनिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार वस्तुओं की गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक्सचेंज/प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एजेंसी।

2.3.40"अत्यधिक हानि मार्जिन" का अर्थ उन स्थितियों में हानि को कवर करने के लिए मार्जिन है जो प्रारंभिक मार्जिन के कवरेज से बाहर हैं।

2.3.41"अभ्यास" का अर्थ है विकल्प धारक द्वारा एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नियमों, उप–विधियों और विनियमों के अनुसार और उनके अधीन अधिकार का आह्वान।

2.3.42 "गतिविधि मूल्य या स्ट्राइक मूल्य" ट्रेडिंग की प्रति इकाई कीमत है जिसपर विकल्प धारक को विकल्प के प्रयोग पर अंतर्निहित खरीदने या बेचने का अधिकार है।

2.3.43गतिविधि निपटान के संबंध में "गतिविधि निपटान मूल्य", गतिविधि के दिन अंतर्निहित का समापन मूल्य या अंतर्निहित की ऐसी अन्य कीमत है जो समय–समय पर सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा तय की जा सकती है।

2.3.44एक्सरसाइज सेटलमेंट के संबंध में"एक्सरसाइज सेटलमेंट वैल्यू" का मतलब निपटान के उद्देश्य से विकल्प संविदा के व्यापार की प्रत्येक इकाई के लिए स्ट्राइक मूल्य और एक्सरसाइज सेटलमेंट मूल्य के बीच का अंतर है।

2.3.45किसी विकल्प की "एक्सरसाइज शैली" उस कीमत को संदर्भित करती है जिस पर और/या उस समय जब धारक द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। यह या तो एक अमेरिकी शैली का विकल्प हो सकता है या एक यूरोपीय शैली का विकल्प या विकल्प की ऐसी अन्य एक्सरसाइज शैली हो सकती है जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर निर्धारित कर सकता है।

2.3.46"समाप्ति दिवस या समाप्ति दिवस" का अर्थ संविदा के व्यापार का अंतिम दिन है।

2.3.47 "समाप्ति समय" संविदा की समाप्ति के दिन या ऐसे अन्य समय पर व्यवसाय घंटों की समाप्ति है जो समय–समय पर सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2.3.48 "यूरोपीय शैली विकल्प संविदा" का अर्थ एक विकल्प संविदा है जिसका प्रयोग समाप्ति तिथि पर या समाप्ति समय से पहले किया जा सकता है।

2.3.49 "वित्तीय वर्ष" एक अप्रैल से शुरू होने वाला और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष।

2.3.50"वायदा संविदा" का अर्थ भविष्य में अंतर्निहित परिसंपत्तिको खरीदने या बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है।

2.3.51"माल" का अर्थ कार्रवाई योग्य दावों, धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति है।

2.3.52"सकल ओपन इंटरेस्ट" का अर्थ सभी प्रतिभूतियों से संबंधित सभी संविदा महीनों में एकत्रित बाजार के ओपन इंटरेस्ट का योग है।

2.3.53 "संविदा माह के लिए सकल खुली स्थिति" या "संविदा में बकाया दायित्व" का अर्थ लंबी स्थिति या छोटी स्थिति का योग है जो संविदा माह के लिए उस संविदा में तय किया जाना बाकी है।

2.3.54'घंटे' भारतीय मानक समय (आईएसटी) के आधारपर घंटों को संदर्भित करते हैं।

2.3.55"प्रारंभिक मार्जिन" का अर्थ है और इसमें एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत फ्लोर वैल्यू के अधीन कम से कम 99 प्रतिशत दिनों के लिए संभावित नुकसान को कवर करने के लिए जोखिम मूल्य (वीएआर) पद्धति के माध्यम से गणना किया गया मार्जिन शामिल है।

2.3.56 "ट्रेडिंग का अंतिम दिन" का अर्थ वह दिन है जिस दिन किसी विशिष्ट वस्तु या सुरक्षा में किसी विशेष संविदा माह के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है और जिसके बाद उस संविदा में ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती है।

2.3.57 "लिमिट ऑर्डर बुक" एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर रखी गई एक पुस्तक है, जो ट्रेडिंग सिस्टम पर ऑर्डर के प्रवेश के दिन मिलान के लिए बेजोड़ लिमिट ऑर्डर संग्रहीत करती है।

2.3.58 "लिमिट ऑर्डर", खरीद ऑर्डर के मामले में, वह दर है जिस पर या उससे नीचे ऑर्डर का मिलान ट्रेडिंग सिस्टम पर किया जा सकता है और विक्रय ऑर्डर के मामले में वह दर है जिस पर या उससे ऊपर ऑर्डर का मिलान किया जा सकता है, ट्रेडिंग सिस्टम पर मिलान किया जाना चाहिए।

2.3.59"तरल संपत्ति" का अर्थ विभिन्न मार्जिन और जमा आवश्यकताओं को कवर करने के लिए एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट संपत्ति है।

ification: Restricted

2.3.60 "लॉन्ग पोजीशन" का अर्थ है किसी व्यक्ति की शुद्ध बकाया खरीद दायित्व, चाहे वह सदस्य हो या नहीं, किसी भी समय किसी वस्तु या सुरक्षा या उसके मूल्य सूचकांक के लिए संविदा माह में उसके लेनदेन के संबंध में, जिसका निपटान अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।

2.3.61 "प्रबंध निदेशक" का अर्थ है एक्सचेंज के संगम अनुच्छेदों और अन्य लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा नियुक्त एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक, जिसमें बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।

2.3.62"मार्जिन" का अर्थ है किसी संविदा में स्थिति स्थापित करने या बनाए रखने के लिए नकद/अन्य निर्दिष्ट संपत्तियों/दस्तावेजों का जमा या भुगतान और इसमें प्रारंभिक मार्जिन, विशेष मार्जिन, साधारण मार्जिन, अत्यधिक हानि मार्जिन, डिलीवरी अवधि मार्जिन, अतिरिक्त मार्जिन शामिल है। इवेंट आधारित अतिरिक्त निगरानी मार्जिन (ई–एएसएम) और वेरिएशन मार्जिन, या किसी अन्य प्रकार का मार्जिन जो एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

2.3.63"बाजार निर्माता" का अर्थ ऐसे नियमों और शर्तों पर पंजीकृत एक सदस्य है, जो ऐसे सदस्य को सौंपे गए विशिष्ट वस्तुओं और/या संविदाओं में बाजार बनाने के लिए समय–समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण : बाजार निर्माता एक्सचेंज के कारोबारी घंटों के दौरान हर समय विशिष्ट प्रतिभूतियों में संविदों की खरीद और बिक्री दोनों लिए कोटेशन की पेशकश करेगा।

2.3.64"मार्केट ऑर्डर" का अर्थ है किसी संविदा की एक निर्दिष्ट मात्रा के लिए ऑर्डर की प्रविष्टि के समय एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर प्रचलित सर्वोत्तम उपलब्ध ऑर्डर/उद्धरण पर खरीदा या बेचा जाने वाला।

2.3.65 "बाजार प्रकार" का अर्थ है और विभिन्न बाजारों को संदर्भित करता है जिसमें एक्सचेंज द्वारा अनुमत ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार की अनुमति है।

2.3.66 "मार्क–टू–मार्केट" का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविदा माह के लिए एक्सचेंज में निष्पादित सभी लेनदेन की कीमत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा तय किए गए निपटान मूल्य पर तय की जाती है और जिसके आधार पर प्राप्तियां और भुगतान प्रभावित होते हैं।

2.3.67 "मार्क टू मार्केट सेटलमेंट" का अर्थ है ग्राहकों/सदस्यों की सभी खुली पोजीशनों का दैनिक आधार पर नकद में निपटान।

2.3.68"सदस्य/सदस्यों" जैसाकि संदर्भ की आवश्यकता हो सकता है, का अर्थ है ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य या दोनों।

2.3.69"न्यूनतम तरल नेटवर्थ" का अर्थ है प्रारंभिक मार्जिन, अत्यधिक हानि मार्जिन, अतिरिक्त मार्जिन या एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य मार्जिन की कटौती के बाद प्राप्त क्लीयरिंग सदस्य की तरल संपत्ति।

2.3.70 "महीना" का अर्थ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गणना किया गया महीना है।

2.3.71 "बाजार का शुद्ध खुला ब्याज" का अर्थ सभी प्रतिभूतियों से संबंधित सभी संविदा महीनों में एकत्रित लंबी या छोटी शुद्ध खुली स्थितियों का योग है, एक संविदा माह की स्थिति को दूसरे संविदा माह के साथ जोड़ने के बिना।

2.3.72 "किसी संविदा माह के लिए किसी वस्तु या सुरक्षा में किसी व्यक्ति की शुद्ध खुली स्थिति" का अर्थ है क) लंबी स्थिति से अधिक होने पर निपटान की जाने वाली शेष छोटी स्थिति के कुल को घटाकर शेष लंबी स्थिति का कुल योग छोटी स्थितियां और ख) यदि छोटी स्थितियां लंबी स्थिति से अधिक हो जाती हैं, तो निपटाई जाने वाली शेष छोटी स्थिति की संख्या, निपटान की जाने वाली शेष लंबी स्थिति की संख्या को कम कर देती हैं।

2.3.73"एक निर्दिष्ट संविदा माह के लिए बाजार का खुला ब्याज" का अर्थ एक संविदा माह के लिए संविदा में लेनदेन की कुल मात्रा है, जिसका निपटान किया जाना बाकी है। बाजार का ओपन इंटरेस्ट या तो कुल लंबी स्थितियों के बराबर होता है, जिनका निपटान किया जाना बाकी है या कुल छोटी स्थितियों के बराबर होता है, जो निर्दिष्ट संविदा माह के लिए उस संविदा में तय किया जाना बाकी है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं।

2.7.74 "विकल्प संविदा" डेरिवेटिव में एक प्रकार की संविदा है जो संविदा के खरीदार/धारक को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर या उसके अंत में पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित खरीदने/बेचने का अधिकार (लेकिन दायित्व नहीं) देता है। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचने का अधिकार देता है उसे पुट ऑप्शन कहा जाता है।

2.7.75 "विकल्प खरीदार" वह व्यक्ति है जिसने एक विकल्प संविदा खरीदा है।

2.7.76 "विकल्प विक्रेता" वह व्यक्ति है जिसने एक विकल्प संविदा बेचा है।

2.7.77 "ऑर्डर" का अर्थ विशिष्ट प्रतिभूतियों के लिए एक्सचेंज द्वारा अनुमत ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से किसी भी संविदा को खरीदने या बेचने का प्रस्ताव है।

2.7.78 "साधारण मार्जिन" का अर्थ मार्जिन जमा है जो संविदा माह में स्थिति स्थापित करने के लिए संविदा करने वाले पक्षों से आवश्यक है और इसे प्रारंभिक मार्जिन कहा जा सकता है।

2.3.79"प्रीमियम" वह कीमत है जो विकल्प का खरीदार विकल्प संविदा द्वारा बताए गए अधिकारों के लिए विकल्प के विक्रेता को भुगतान करता है।

2.3.80"उद्धरण" का अर्थ ट्रेडिंग सिस्टम पर किए गए संविदा के लिए संविदा विनिर्देशों में निर्दिष्ट उद्धरण की इकाई की कीमत है।

ification: Restricted

2.3.81 "दर" का अर्थ ट्रेडिंग सिस्टम पर किए गए संविदा के लिए संविदा विनिर्देशों में निर्दिष्ट उद्धरण की इकाई की कीमत है।

2.3.82 "तैयार डिलीवरी संविदा" का अर्थ एक ऐसी संविदा है जो माल की डिलीवरी और उसके लिए कीमत का भुगतान, या तो तुरंत, या संविदा की तारीख के बाद ग्यारह दिनों से अधिक नहीं की अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान करता है। केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी सामान के संबंध में, ऐसी संविदा के तहत अवधि निर्दिष्ट कर सकती है जो पार्टियों की आपसी सहमति से या अन्यथा विस्तार करने में सक्षम नहीं है: बशर्ते कि जहां ऐसी कोई संविदा पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्पादित की जाती है :

(I) संविदा दर और निपटान दर या समाशोधन दर या किसी ऑफ सेटिंग संविदा की दर के बीच अंतर होने वाले धन की अधिकृत वसूली द्वारा; या

(II) किसी भी अन्य माध्यम से, और जिसके परिणामस्वरूप संविदा में शामिल वस्तुओं की वास्तविक निविदा या उसके लिए पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा को तैयार डिलीवरी संविदा नहीं माना जाएगा।

2.3.83"रिश्तेदार" का अर्थ ह एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अर्थ के भीतर रिश्तेदार है।

2.3.83 "सम्बद्ध प्राधिकारी" का अर्थ है बोर्ड या कोई समिति या प्रबंध निदेशक या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे बोर्ड द्वारा समय–समय पर एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रासंगिक के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2.3.84 "प्रासंगिक संविदा" का अर्थ एक्सचेंज के प्रासंगिक ट्रेडिंग सेगमेंट से संबंधित संविदा है।

2.3.85किसी ऑर्डर के संबंध में "प्रतिधारण अवधि"का अर्थ वह अवधि है, जब तक किसी ऑर्डर की बेजोड़ मात्रा को सीमा ऑर्डर बुक में स्थायी सीमा आदेश के रूप में एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर बनाए रखा जाना है।

2.3.86"नियम" का अर्थ एससीआरए के तहत सेबी द्वारा अनुमोदित मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियम और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम और/या सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम हैं।

2.3.87"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसे संक्षिप्तता के लिए इन उप–विधियों में सेबी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है।

2.3.88 "सेल ऑर्डर" का अर्थ एक्सचेंज पर व्यापार के लिए अनुमत संविदा को बेचने का ऑर्डर है।

2.3.89 "विक्रेता" का अर्थ है और इसमें शामिल है, जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे, बेचने वाला ग्राहक, और बेचने वाला एक्सचेंज सदस्य ऐसे बेचने वाले ग्राहक की ओर से एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और बेचने वाले एक्सचेंज सदस्य को दर्शाता है ज बवह अपने खाते पर लेनदेन कर रहा होता है।

2.3.90"विकल्पों की श्रृंखला" का अर्थ है एक ही वर्ग के सभी विकल्प जिन का प्रयोग मूल्य और समाप्ति दिन समान है।

2.3.91 "निपटान दिवस" का अर्थ एक्सचेंज के सदस्यों के लिए एक्सचेंज के निर्देशानुसार अपने लेनदेन को निपटाने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिन है।

2.3.92 "सेटलमेंट गारंटी फंड" क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा रखा गया फंड है जिसका उपयोग केवल सेटलमेंट गारंटी के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

2.3.93 "एक संविदा और एक संविदा माह के लिए निपटान मूल्य" का अर्थ है सभी ताजा और बकाया स्थिति से संबंधित अंतर (या बकाया) के भुगतान के उद्देश्य से एक संविदा की कीमत, जिसका निपटान किया जाना बाकी है। निपटान मूल्य निपटान दिनों के लिए निर्धारित किया जाएगा और एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों और दैनिक आधिकारिक सूची पर उपलब्ध अन्य जानकारी के अनुसार निष्पादित लेनदेन के मूल्य उद्धरण पर आधारित होगा।

2.3.94 "शॉर्ट पोजीशन" का अर्थ है किसी व्यक्ति की शुद्ध बकाया बिक्री दायित्व, चाहे वह सदस्य हो या उसका ग्राहक, किसी भी समय किसी वस्तु या सुरक्षा या उसके मूल्य सूचकांक के लिए संविदा माह में उसके लेन देन के संबंध में, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है।

2.3.95 "स्क्वायर ऑफ/क्लोज आउट" का अर्थ है किसी सदस्य या ग्राहक द्वारा धारित लंबी या छोटी स्थिति को आंशिक या पूर्ण रूप से ऑफ–सेट करना।

2.3.96 "विशेष मार्जिन" का अर्थ है वह मार्जिन जमा राशि जो संविदा में पद धारण करने के लिए संविदा करने वाले पक्षों से आवश्यक है, जैसाकि इस संबंध में अधिकार प्राप्त सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और/या सेबी द्वारा निर्देशित किया गया है।

2.3.97 "विशिष्ट वितरण संविदा" का अर्थ एक वस्तु व्युत्पन्न है जो एक निर्दिष्ट भविष्य की अवधि के दौरान विशिष्ट गुणों या प्रकार के सामानों की वास्तविक डिलीवरी के लिए निर्धारित मूल्य पर या इस प्रकार सहमत तरीके से तय किए जाने वाले मूल्य पर प्रदान करता है और जिसमें की नाम खरीदार और विक्रेता दोनों का उल्लेख किया गया है।

2.3.98 "स्थायी ऑर्डर" का अर्थ एक बेजोड़ ऑर्डर है, जिसे लिमिट ऑर्डर बुक में एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर रखा जाता है।

2.3.99 "स्ट्राइक प्राइस अंतराल" किन्हीं दो क्रमिक स्ट्राइक कीमतों के बीच का अंतर है जिसे सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर निर्धारित कर सकता है।

ification: Restricted

2.3.100 "संरचित सौदे" का मतलब क्रॉस डील के समान है, सिवाय इसके कि व्यापार के खरीद और बिक्री पक्ष पर एक्सचेंज सदस्य अलग–अलग हैं और इसमें ऐसे सौदे शामिल हैं जो उचित मूल्य खोज तंत्र को नष्ट कर देते हैं।

2.3.101 "निविदा अवधि मार्जिन/समाप्ति–पूर्व मार्जिन" का अर्थ वह मार्जिन है जिसे संविदा समाप्ति से पहले पूर्व–निर्धारित दिनों की संख्या से शुरू करके, जैसा लागू हो, हर दिन धीरे–धीरे बढ़ाया जा सकता है।

2.3.102 "निविदा योग्य या वितरण योग्य किस्में या ग्रेड" 'आधार' किस्म या ग्रेड के अलावा अन्य किस्में या ग्रेड हैं जिन्हें एक्सचेंज द्वारा" के साथ या उसके बिना" एक्सचेंज पर कारोबार किए गए कमोडिटी के लिए वायदा संविदा के तहत वितरित या प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। एक्सचेंज की इन उप–विधियों और नियमों और विनियमों के तहत सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जानेवाले"ऑन" और "ऑफ" छूट।

2.3.103"इनपुट करने के लिए" का अर्थ है किसी एक्सचेंज सदस्य के ट्रेडर वर्क स्टेशन (टीडब्ल्यूएस) से संविदा खरीदने या बेचने का ऑर्डर और कोई अन्य जानकारी, जो आवश्यक हो, ट्रेडिंग सिस्टम में संचारित करना।

2.3.104 "मिलान करने के लिए" का अर्थ है बेचने का आदेश या बेचने के आदेश का एक हिस्सा जो खरीदने के आदेश या खरीदने के आदेश के एक हिस्से से मेल खाता है, या इसके विपरीत, कीमत और मात्रा के संदर्भ में, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण, और परिणामस्वरूप व्यापार होता है।

2.3.105"टच लाइन" का अर्थ है टीडब्ल्यूएस पर प्रदर्शित खरीद और बिक्री के लिए संबंधित मात्रा के साथ सर्वोत्तम बोली और प्रस्ताव।

2.3.106 "सौदे" का अर्थ है एक संविदा की खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन, जो खरीदने के लिए बोली या खरीदने के लिए बोली के एक हिस्से को बेचने की पेशकश या बेचने के प्रस्ताव के एक हिस्से के साथ मेल खाने से उत्पन्न होता है, या इसके विपरीत एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर।

2.3.107"ट्रेडर वर्क स्टेशन"(इसके बाद "टीडब्ल्यूएस" के रूप में संदर्भित) का अर्थ एक्सचेंज सदस्य का एक कंप्यूटर टर्मिनल है जो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित है और जो एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम से स्थापित और जुड़ा हुआ है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के उद्देश्य से।

2.3.108"ट्रेडिंग सदस्य" का अर्थ एक व्यक्ति/इकाई है जिसे एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग सदस्य के रूप में भर्ती किया गया है और उसे एक्सचेंज द्वारा इसके नियमों, उप–विधियों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने का अधिकार है।

2.3.109 "ट्रेडिंग अवधि" का अर्थ एक्सचेंज द्वारा निर्धारित संविदा की अवधि है जिसके दौरान एक संविदा ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगा।

2.3.110 "ट्रेडिंग सिस्टम" का अर्थ एक ऐसी प्रणाली है जो ट्रेडिंग सदस्यों को किसी भी तरीके से प्रतिभूतियों के कोटेशन उपलब्ध कराती है और प्रभावित ट्रेडों, वॉल्यूम आदि के बारे में जानकारी और उस पर रखी जाने वाली अन्य अधिसूचनाएं प्रसारित करती है।

2.3.111 "ट्रेडिंग सेगमेंट" या "सेगमेंट" का मतलब अलग–अलग सेगमेंट या डिवीजन है जिसमें एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए वस्तुओं/प्रतिभूतियों, संविदाओं और व्यापार केंद्रों को प्रवेश दिया जाता है, जैसाकि एक्सचेंज में सदस्यों के प्रवेश के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा वर्गीकृत किया गया है और एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार करने के उद्देश्य से।

2.3.112 "कार्य दिवस का ट्रेडिंग सत्र" का अर्थ उस दिन के घंटे हैं जिसके दौरान एक्सचेंज द्वारा संविदाओं की बिक्री और खरीद की अनुमति दी जाती है।

2.3.113"ट्रेडिंग–कम–क्लियरिंग सदस्य" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया है, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक क्लियरिंग सदस्य के माध्यम से व्यापार और क्लियरिंग का अधिकार प्रदान करता है और जिसे खुद के लिए सौदे करने की अनुमति दी जा सकती है के साथ–साथ ही अपने ग्राहकों की ओर से और केवल ऐसे सौदों को स्पष्ट और निपटारा करता है।

2.114"हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण संविदा'' का अर्थ एक विशिष्ट वितरण संविदा है जो एक गैर–हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण संविदा नहीं है और जो इसकी हस्तांतरणीयता से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसाकि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

2.3.115 "विकल्प का प्रकार" का अर्थ है किसी विकल्प का पुट या कॉल या किसी अन्य विकल्प के रूप में वर्गीकरण, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

2.3.116"अंतर्निहित" या 'अंतर्निहित वस्तु' या 'अंतर्निहित सुरक्षा' का अर्थ है वह वस्तु या सुरक्षा जिसके संदर्भ में तैयार, वायदा, वायदा, विकल्प, मूल्य सूचकांक, या अंतर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों, सेवाओं, अधिकारों पर आधारित सूचकांक, हितों और घटनाओं तथा अन्य संविदाओं को समय–समय पर एक्सचेंज द्वारा व्यापार करने की अनुमति दी जाती है।

2.3.117 "व्यापार की इकाई" का अर्थ है किसी संविदा की न्यूनतम मात्रा जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है, जैसाकि किसी वस्तु के लिए संविदा विनिर्देशों में समय–समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2.3.118 "उद्धरण की इकाई" का अर्थ किसी वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा है जिसके लिए बोली या प्रस्ताव मूल्य एक संविदा माह के लिए एक्सचेंज सदस्य द्वारा दिया जा सकता है।

2.3.119 "वेरिएशन मार्जिन" का अर्थ संविदा के संविदात्मक मौद्रिक मूल्य और निपटान मूल्य पर निर्धारित संविदा के

ification: Restricted

मौद्रिक मूल्य के बीच का अंतर है।

2.3.120 "वेयरहाउस/वॉल्ट रसीद" का अर्थ एक दस्तावेज है, चाहे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी वस्तु को अनुमोदित गोदाम में रखे जाने का सबूत हो।

2.3.121"वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर (डब्ल्यूएसपी)" का अर्थ वस्तुओं के भंडारण और संरक्षण के लिए एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त एजेंसी है।

2.3.122"कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है जिस दिन एक्सचेंज द्वारा संविदाओं की बिक्री और खरीद की अनुमति दी जाती है।

एकवचन संख्या को द्योतक करने वाले शब्दों में बहुवचन संख्या शामिल होगी और इसके विपरीत। पुल्लिंग लिंग को प्रभावित करने वाले शब्दों में स्त्री लिंग संख्या और नपुंसकलिंग शामिल होंगे और इसके विपरीत।

ification: Restricted

3. प्रारंभिक

3.1 उप–विधियों, संगम अनुच्छेदों और एक्सचेंज के नियमों के प्रावधानों के अधीन, सम्बद्ध प्राधिकरण के पास एक्सचेंज के कुशल कामकाज और संचालन के लिए समय–समय पर व्यावसायिक नियम/विनियम तैयार करने और कामकाज तथा गतिविधियों को विनियमित करने की शक्तियां होंगी। एक्सचेंज के सदस्यों या अधिकृत व्यक्तियों, अनुमोदित उपयोगकर्ताओं और उनके अधीन या उनके माध्यम से काम करने वाले या एक्सचेंज के संबंध में उनके साथ काम करने वाले अन्य सभी व्यक्ति, वस्तुओं/प्रतिभूतियों में संविदाओं के लिए व्यापार और वितरण विनिर्देशों का निर्धारण करते हैं और मूल्य सूचकांक एवं उनके डेरिवेटिव को एक्सचेंज पर व्यापार करने की अनुमति है, जिसमें व्यापार की विधि, समाशोधन, निपटान, स्पॉट मूल्य मतदान तंत्र और उससे संबंधित अन्य संचालन तथा दंड, जुर्माना और अन्य परिणामों का प्रशासन शामिल है, जिसमें चूक या उल्लंघन और मीडिया नीति के लिए निलंबन/निष्कासन शामिल है। सम्बद्ध प्राधिकारी, समय–समय पर, व्यवसाय नियमों के किसी भी प्रावधान में संशोधन, जोड़, परिवर्तन, संशोधन, हटा या निरस्त कर सकता है, जैसाकि आवश्यक या उचित समझा जा सकता है या यदि सेबी द्वारा वांछित या निर्देशित किया जा सकता है।

उप–विधि, नियम, व्यावसायिक नियम अन्य बातों के साथ–साथ परिचालन आवश्यकताओं की देखभाल के लिए आवश्यक प्राधिकरण प्रदान करेंगे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है।

उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब सेबी इन उप–विधियों में संशोधन के प्रभाव वाले कोई विनियम, निर्देश, परिपत्र जारी करता है, तो ऐसे संशोधनों को इन उप–कानूनों का एक हिस्सा माना जाएगा और ऐसे विनियम, निर्देश या परिपत्र में निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे।

3.2 क्षेत्राधिकार

ये उप–विधि यहां निर्दिष्ट सीमा तक एक्सचेंज के सभी सदस्यों और प्रतिभागियों, अधिकृत व्यक्तियों, स्वीकृत उपयोगकर्ताओं, ग्राहकों और लेनदेन के व्यापार, समाशोधन और निपटान में शामिल सभी संस्थाओं पर लागू होंगे। ये मुम्बई में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे, जहां एक्सचेंज स्थित है, चाहे एक्सचेंज के सदस्यों का व्यवसाय भारत या विदेश में कहीं भी हो। एक्सचेंज के परिसर में किसी भी स्थान पर स्थित एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से किए गए या निष्पादित किए गए सभी लेनदेन केवल मुम्बई शहर में हुए माने जाएंगे और एक्सचेंज के सदस्यों के बीच संविदा का स्थान होगा मुम्बई में, इससे जुड़े सदस्यों के व्यापारी कार्यस्थलों के स्थान चाहे कुछ भी हों। इन उप–विधियों के तहत सभी विवाद मुम्बई में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, भले ही एक्सचेंज के सदस्यों और उनके ग्राहकों के व्यवसाय का स्थान या वह स्थान जहां संबंधित लेनदेन हुआ हो।

एक्सचेंज की उप–विधि, नियम और विनियम भारत में लागू कानूनों के अनुसार शासित समझे जाएंगे। प्रत्येक एक्सचेंज सदस्य को सदस्यों द्वारा जारी किए जाने वाले संविदा नोटों में स्पष्ट रूप से प्रदान करना होगा कि केवल मुम्बई के न्यायालयों के पास ऐसे संविदा नोटों से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में किसी भी विवाद के दावों के लिए विशेष क्षेत्राधिकार होगा। इस उप–विधि के प्रावधान सदस्यों और उनके घटकों के बीच किसी भी विवाद का निर्णय करने वाले किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति नहीं करेंगे, जिसमें एक्सचेंज एक पक्ष नहीं है।

3.3 सक्षम प्रावधान निर्धारितकरने की शक्ति

सम्बद्ध प्राधिकारी, एक्सचेंज के किसी भी उप–विधि और नियमों के प्रावधानों को लागू करने में किसी भी कठिनाई या अस्पष्टता को दूर करने के लिए, समय–समय पर, आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण या निर्देश जारी कर सकता है, जो इनका प्रभाव उनके अंतर्गत बनाई गई उप–विधियां और नियमों के समान नही होता है।

ification: Restricted

4. एक्सचेंज का शासन

4.1. एक्सचेंज के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक्सचेंज के निदेशक मंडल की होगी, जिसे गवर्निंग बॉडी भी कहा जा सकता है।

4.2. बोर्ड की ताकत और संरचना एक्सचेंज के संगम अनुच्छेदों और सेबी एक्सचेंज एवं क्लियरिंग कॉरपोरेशन (एसईसीसी) विनियम (इसके बाद एसईसीसी विनियमों के रूपमें संदर्भित) या उसके तहत जारी परिपत्रों, स्पष्टीकरणों या निर्देशों के अनुसार होगी।

4.3. बोर्ड वैधानिक समितियों और सलाहकार समितियों का गठन कर सकता है जैसाकि एसईसीसी विनियमों में या उसके तहत जारी स्पष्टीकरण, परिपत्र या निर्देशों में निर्धारित किया जा सकता है और/या जैसा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है।

4.4. संदर्भ की शर्तें, कोरम, बैठकों की आवृत्ति, इनवैधानिक समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति एसईसीसी विनियमों के तहत या उसके तहत जारी स्पष्टीकरण, परिपत्र या निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

4.5. संविधान, संदर्भ की शर्तें, कोरम, बैठकों की आवृत्ति, सलाहकार समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति उनका गठन करते समय बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

4.6. बोर्डस्वयं या बोर्ड के सदस्यों और एक्सचेंज के वरिष्ठ अधिकारियों, बाहरी विशेषज्ञों के साथ प्रासंगिक प्राधिकरण का गठन करके, विशिष्ट शक्तियां सौंपता है और/या ऐसे प्रासंगिक प्राधिकरण को इन उप–विधियों के विभिन्न अनुभागों/अध्यायों के तहत निर्धारित कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करता है।

4.7. बोर्ड का कोई भी निदेशक या बोर्ड समिति द्वारा गठित किसी भी समिति का कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी का अनधिकृत खुलासा या अनुचित उपयोग नहीं करेगा जो एक्सचेंज में उसकी आधिकारिक स्थिति या पूर्व आधिकारिक स्थिति के परिणामस्वरूप उसके पास आ सकती है। यदि आमतौर पर ज्ञात हो तो एक्सचेंज में कारोबार किए गए संविदाओं की कीमत पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। इस उप–विधि का अनुपालन करने में विफलता को एक बड़ा उल्लंघन माना जाएगा और बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से निपटा जाएगा।

4.8. एक्सचेंज या नामित क्लीयरिंग बैंक का कोई भी कर्मचारी (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी का अनधिकृत खुलासा नहीं करेगा जो क्लीयरिंग बैंक के रूपमें बैंक के कार्य के परिणामस्वरूप उसके पास आ सकती है, (ii) एक्सचेंज में कारोबार किए जाने वाले संविदाओं के व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और (iii) एक्सचेंज के किसी भी सदस्य या किसी व्यक्ति, फर्म या निगम के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बनाए रखना, जो एक्सचेंज में कारोबार किए गए संविदाओं से संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है, चाहे ऐसे रोजगार में कोई मुआवजा शामिल हो या न हो आवधिक या अन्यथा नामित समाशोधन बैंक अपने सभी कर्मचारियों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके कर्मचारियों द्वारा कोई भी उल्लंघन ऐसी कार्रवाई के अधीन होगा, जैसा बोर्ड उचित समझे।

4.9. सम्बद्ध प्राधिकारी, अपने विवेक पर, एक्सचेंज के सदस्यों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों या अनुमोदित उपयोगकर्ताओं को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़े टीडब्ल्यूएस के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति दे सकता है। एक्सचेंज के सदस्य एक्सचेंज पर संबंधित टीडब्ल्यूएस द्वारा या उसके माध्यम से किए गए सभी लेनदेन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

4.10. पूर्वगामी उप–विधि के अधीन, इस उद्देश्य के लिए सशक्त प्रासंगिक सम्बद्ध या तो स्वयं या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के परामर्श से निम्नलिखित के लिए नियम, व्यावसायिक नियम बना सकता है :

क. एक्सचेंज पर ट्रेडिंग

i. एक्सचेंज द्वारा अनुमत निर्दिष्ट वस्तुओं, प्रतिभूतियों, मूल्य सूचकांकों या उनके डेरिवेटिव के लिए एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर ऐसे ट्रेडिंग सत्रों में ट्रेडिंग सत्रों और कार्यवाही का निर्धारण।

ii. सदस्यों को टीब्ल्यूएस का आवंटन और अनुमोदित उपयोगकर्ताओं की नियुक्ति।

iii. कोटेशन और ट्रेडिंग की इकाइयों का निर्धारण और बोलियों एवं प्रस्तावों में भिन्नता और ऑर्डर का न्यूनतम एवं अधिकतम आकार।

iv. विभिन्न वस्तुओं के लिए 'आधार' किस्म और वितरण योग्य किस्मों का निर्धारण, आधार, संविदा (डिलीवरी) महीनों, वितरण अवधि, वितरण केंद्र, निविदा दिवस और अन्य उचित नियमों और शर्तों के अलावा अन्य किस्मों की निविदा के लिए "चालू" और "बंद" छूट विभिन्न वस्तुओं के लिए की जाने वाली संविदाओं की संख्या, संविदाओं के रूप, एक्सचेंज के सदस्यों के बीच, एक्सचेंज के सदस्यों के ग्राहकों के बीच, और एक्सचेंज के सदस्यों के बीच संविदाओं के निष्पादन का समय, तरीका और ढंग।

v. विभिन्न वस्तुओं और प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा देय लेनदेन शुल्क और अन्य शुल्कों का निर्धारण जो एक्सचेंज द्वारा सदस्यों, प्रतिभागियों, अनुमोदित उपयोगकर्ताओं

ification: Restricted

आदि से एकत्र किए जा सकते हैं।

vi. एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए एक या अधिक संविदाओं में ट्रेडिंग के निलंबन की अनुमति।

vii. गुणवत्ता, कीमत और वितरण से संबंधित विवादों के निपटान की प्रक्रिया।

viii. नियत तिथि पर डिलीवरी देकर या प्राप्त करके संविदाओं को पूरा न करने पर नियम तिथि दर और दंड का निर्धारण।

ix. संविदाओं के स्थानांतरण और समापन के लिए प्रासंगिक या परिणामी मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें।

ख. जोखिम प्रबंधन और निगरानी उपाय जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं :

i. लेनदेन पर विभिन्न प्रकार के मार्जिन।

ii. सधारण मार्जिन की दरें और उनके भुगतान का तरीका।

iii. विशेष या अतिरिक्त मार्जिन और उनके भुगतान का तरीका।

iv. मार्जिन के भुगतान से छूट।

v. पूंजी और मार्जिन जमा पर ग्रहणाधिकार।

vi. मार्जिन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने और/या चोरी के लिए जुर्माना।

vii. मार्जिन का भुगतान करने के लिए ग्राहक का दायित्व।

viii. ग्राहकों से मार्जिन एकत्र करने की जिम्मेदारी सदस्यों की है।

ix. खातों की उचित पुस्तकें बनाए रखना सदस्यों की जिम्मेदारी है।

x. एक्सचेंज में ट्रेडिंग से संबंधित कोई अन्य मामला।

ग. लेन–देन का समाशोधन और निपटान

एक्सचेंज पर किए गए सभी ट्रेडों को ऐसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं के अनुसार एक्सचेंज द्वारा नियुक्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा क्लियर और सेटल किया जाएगा।

घ. एक्सचेंज पर ट्रेडिंग से संबंधित अन्य पहलू

i. सम्बद्ध प्राधिकारी कम्प्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा व्यवस्था, सिस्टम ऑडिट नुस्खे, प्रक्रियात्मक ऑडिट आवश्यकताओं और ट्रेडिंग सिस्टम एवं टीडब्ल्यूएस के लिए ऐसी अन्य आवश्यकताओं जैसे तकनीकी बुनियादी ढांचे की न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकता है।

ii. एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग सिस्टम, या उसके कम्प्यूटर सिस्टम या इंटरनेट पर प्रसारित की जाने वाली सूचना और घोषणाओं के प्रसार की प्रक्रिया और सामग्री।

iii. एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों, पुस्तिकाओं या परिपत्रों के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

iv. विभिन्न वस्तुओं और प्रतिभूतियों की संविदाओं में एक्सचेंज में व्यापार की निगरानी के लिए निगरानी, निगरानी और खुफिया एजेंसियों की नियुक्ति।

v. कोई अन्य मामला, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया जा सकता है।

vi. वेयरहाउस सेवा प्रदाताओं और वेयरहाउसों का ऑडिट करने के लिए एजेंसी (एजेंसियों) से सेवाएं प्राप्त करने के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं।

vii. फंड, मार्जिन मनी आदि की कमी के कारण सदस्यों के टर्मिनलों की अक्षमता की जानकारी प्रत्येक तिमाही के लिए एक्सचेंज वेबसाइट पर दी जा सकती है।

ification: Restricted

ड. **ट्रेडिंग सिस्टम का प्रबंधन**

एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम का प्रबंधन एक्सचेंज के कर्मचारियों या इस उद्देश्य के लिए एक्सचेंज द्वारा अधिकृत या नियुक्त किसी अन्य एजेंसी के अधीन होगा।

च. **निपटान गारंटी निधि, निवेशक सुरक्षा निधि और अन्य निधियों की स्थापना**

निपटान गारंटी निधि, निवेशक सुरक्षा निधि या स्थापित किए जा सकने वाले किसी अन्य निधि में एक्सचेंज के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा योगदान के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें।

छ. **सुलह और मध्यस्थता**

एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के अधीन या किसी भी चीज के संदर्भ में किए गए लेनदेन, संविदाओं और लेनदेन से उत्पन्न होने वाले सदस्यों के बीच और सदस्यों और घटकों के बीच सभी दावे, मतभेद या विवाद उसके आकस्मिक या उसके अनुसरण में या उनकी वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति या उसके पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों से संबंधित और इसमें कोई भी प्रश्न शामिल है कि क्या ऐसे लेनदेन, लेनदेन और संविदा किए गए हैं इन उप–विधियों और व्यावसायिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एक्सचेंज पार्टियों के बीच ऐसे विवादों के लिए मध्यस्थता की सुविधा देने का हकदार होगा जैसाकि उप–विधियों और व्यावसायिक नियमों के प्रावधान में उल्लिखित है, जिसमें सदस्यों द्वारा दायर मध्यस्थता संदर्भ भी शामिल है।

4.11. साक्ष्य के लिए रिकॉर्ड एक्सचेंज के रिकॉर्ड होंगे जैसाकि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या प्रसंस्करण इकाइयों के समूह या कम्प्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों या एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर बनाए रखा जाता है, चाहे वह किसी भी रजिस्टर, चुम्बकीय भंडारण इकाइयों, इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाइयों में बनाए रखा गया हो। ऑप्टिकल स्टोरेज यूनिट या कम्प्यूटर स्टोरेज यूनिट या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्वीकृत मीडिया पर, एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से दर्ज या निष्पादित किसी भी लेनदेन के संबंध में सहमत और प्रमाणित रिकॉर्ड का गठन किया जाएगा। एक्सचेंज द्वारा रखे गए रिकॉर्ड, एक्सचेंज के सदस्यों के बीच या किसी सदस्य और उसके ग्राहकों के बीच या एक्सचेंज के सदस्यों और एक्सचेंज या ट्रेडिंग के संबंध में अनुमोदित क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच किसी भी विवाद या दावे के उद्देश्य से होंगे। एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर किए गए और एक्सचेंज को रिपोर्ट किए गए किसी भी सौदे या लेन–देन का समाशोधन या निपटान, पार्टियों के बीच और उनके बीच वैध और बाध्यकारी साक्ष्य का गठन करता है।

4.12. सम्बद्ध प्राधिकारी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में तरलता संवर्धन योजनाएं शुरू कर सकता है और समय–समय पर उनके लिए परिचालन मानदंड निर्धारित कर सकताहै।

4.13. ट्रेडिंग तक पहुंच

एक्सचेंज/सम्बद्ध प्राधिकारी, ट्रेडिंग सिस्टम (जिसे वैकल्पिक रूप से एमसीएक्स सिस्टम कहा जा सकता है) के संबंध में यह निर्धारित कर सकता है :

4.13.1. एक्सचेंज द्वारा प्रदान की गई ट्रेडिंग प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज समय–समय पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित आवश्यक मानदंड और आवश्यकताएं प्रदान करेगा, जिसमें उपकरण, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इत्यादि शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक हित और/या एक्सचेंज के हित को किसी भी तरह से खतरे में डालना या नुकसान पहुंचाना। ये मानदंड एक्सचेंज के सदस्यों पर बाध्यकारी होंगे।

4.13.2. एक्सचेंज सदस्यों को एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए स्वीकार की गई संविदाओं तक पहुंचने और व्यापार करने के लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करेगा।

4.13.3. ट्रेडिंग सिस्टम एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए अनुमत संविदाओं में ट्रेडिंग की सुविधा के लिए और ऐसी अन्य संविदाओं में ट्रेडिंग के लिए भी उपलब्ध होगा, जिन्हें एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर ट्रेडिंग की अनुमति दी जा सकती है।

ification: Restricted

4.13.4. एक्सचेंज एक आर्किटेक्चर और उससे संबंधित बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकता है, जिससे एक्सचेंज के सदस्यों को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने में सुविधा होगी। एक्सचेंज को टीडब्ल्यूएस की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट करने का पूर्ण अधिकार होगा जो एक्सचेंज में व्यापारिक अधिकार रखने वाले सदस्य को ऐसे आवंटन की शर्तें आवंटित की जा सकती है। एक्सचेंज को ऐसे किसी भी स्थान या स्थानों को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा जहां उसे लगता है कि टीडब्ल्यूएस स्थापित नहीं किया जाएगा।

4.13.5. एक्सचेंज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपकरण के विनिर्देशों/विवरणों और उनके आवश्यक परीक्षण को ऐसे तरीके और समय पर करने के लिए विनिर्देशों को निर्धारित कर सकता है जैसाकि एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसका एक सदस्य को सख्ती से पालन करना आवश्यक है। अनुकूलता सुनिश्चित करने और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपकरण की असंगति से उत्पन्न होने वाले तकनीकी मुद्दों को कम करने/बचने के लिए, एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी रखें या उसका उपयोग करें।

4.13.6. एक्सचेंज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपकरण के विनिर्देशों/विवरणों और उनके आवश्यक परीक्षण को ऐसे तरीके और समय पर करने के लिए विनिर्देशों को निर्धारित कर सकता है जैसाकि एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसका एक सदस्य को सख्ती से पालन करना आवश्यक है। अनुकूलता सुनिश्चित करने और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपकरण की असंगति से उत्पन्न होने वाले तकनीकी मुद्दों को कम करने/बचने के लिए, एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी रखें या उसका उपयोग करें।

4.13.7. एक सदस्य जिसके पास एक्सचेंज में ट्रेडिंग अधिकार हैं, उसे अधिकृत प्रतिनिधियों या अधिकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में इतनी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जैसाकि एक्सचेंज के प्रासंगिक नियमों में प्रदान किया जा सकता है जो समय–समय पर लागू हो सकते हैं।

4.13.8. कोई भी सदस्य जिसके पास एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अधिकार है और वह किसी भी तरीके से अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहता है, जिससे एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच आसान हो, उसे एक्सचेंज की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। किसी सदस्य के ऐसे टर्मिनलों को एक्सचेंज द्वारा उन स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है जहां से सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता या ग्राहक व्यापारिक गतिविधियां करते हैं। कोई भी सदस्य एक्सचेंज की पूर्वानुमति के बिना एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच रखने वाले किसी भी टर्मिनल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित नहीं करेगा। यदि कोई सदस्य एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच वाले सीटीसीएल कनेक्टिविटी के माध्यम से स्थापित किसी भी टर्मिनल को जोड़ने के लिए एक्सचेंज से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो संबंधित सदस्य ऐसे टर्मिनलों के माध्यम से किए गए व्यापार के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और एक्सचेंज द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण : बशर्ते कि कोई ग्राहक अपने स्थान पर सीटीसीएल टर्मिनल स्थापित करना चाहता हो, ऐसे ग्राहक को अपनी गतिविधियों के लिए इसके उपयोग से संबंधित ऐसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा, और इसे उन गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं करना होगा, जिन्हेंकहाजासकताहै/देखा जा सकता है। एक्सचेंज द्वारा, मध्यस्थ के रूप में या किसी अन्य नाम से जिसे एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस संबंध में एक्सचेंज का निर्णय संबंधित सदस्य और ग्राहक के लिए अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगा। अपने ग्राहकों द्वारा ऐसे सीटीसीएल टर्मिनल के दुरूपयोग के लिए संबंधित सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा,व्यापार हो गया इस तरह के दुरूपयोग के माध्यम से और उसे भी प्रदान करेगा और उसका ग्राहक एक्सचेंज द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

4.14. सम्बद्ध प्राधिकारी के पास उप–विधियों और नियमों के विभिन्न शीर्षकों के तहत सम्बद्ध प्राधिकारी को दिए गए विशिष्ट प्राधिकार के अलावा निम्नलिखित पर नियम निर्धारित करने/बनाने की शक्ति होगी :

4.14.1. अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता या ग्राहक के रूप में किसी व्यक्ति के पंजीकरण और पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया;

4.14.2. किसी व्यक्ति को अधिकृत प्रतिनिधि/अनुमोदित उपयोगकर्ता/ग्राहक के रूप में पंजीकृत करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें;

4.14.3. किसी अधिकृत प्रतिनिधि/अनुमोदित उपयोगकर्ता या ग्राहक को एक्सचेंज की ट्रेडिंग तक पहुंच प्राप्त करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें;

4.14.4. किसी सदस्य की ओर से ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की अधिकतम

ification: Restricted

संख्या;

4.14.5. ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि/अनुमोदित उपयोगकर्ता/क्लाइंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड के प्रावधान और संशोधन की प्रक्रिया; और

4.14.6. ऐसी परिस्थितियां जिनमें एक्सचेंज किसी अधिकृत प्रतिनिधि/अनुमोदित उपयोगकर्ता/ग्राहक को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच की अनुमति देने से इनकार कर सकता है और/या वापस ले सकता है और/या रद्द कर सकता है, या तो अनिश्चितकाल के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या पूरा होने तक शर्तें, जैसाकि एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।

4.15. ट्रेडिंग सदस्य के चूक होने की संभावना (संभावित चूक)

4.15.1. ऐसे मामले में जहां एक्सचेंज का मानना है कि ट्रेडिंग सदस्य स्टॉक एक्सचेंज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने और/या ग्राहक को धन या प्रतिभूतियों के पुन भुगतान में चूक कर सकता है, तो वह समय–समय पर सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार कार्य करेगा और सेबी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित अनुसार कदम उठाएं।

4.15.2 स्टॉक के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में ट्रेडिंग सदस्य द्वारा संभावित चूक की स्थिति में एक्सचेंज संबंधित बैंक को ट्रेडिंग सदस्य द्वारा सभी डेबिट/निकासी के लिए ट्रेडिंग सदस्य द्वारा रखे गए बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश देगा। विनिमय/समाशोधन निगम और/या अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों/निधियों का पुनर्भुगतान। इस प्रयोजन के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों को संबंधित बैंक को ऐसे खातों से सभी डेबिट/निकासी के लिए बैंक खाते को फ्रीज करने के निर्देश देने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को अधिकृत करने के लिए समय–समय परसेबी/एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.16. आपातकालीन परिस्थितियां और आपातकाल से निपटने की शक्तियां

जब भी सम्बद्ध प्राधिकारी को लगता है कि हेरफेर, दबाव, मंदी की पकृति में कोई आपात स्थिति, कोना या संकट है या जहां भी सम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि गतिविधि की झूठी या कृत्रिम उपस्थिति को प्रेरित करने के उद्देश्य से संविदाओं का लेन–देन किया जाता है या मूल्य संतुलन को बिगाड़ने या व्यापार को व्यापार के हित या एक्सचेंज के हित और कल्याण के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित किया जा रहा है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन पंजीकृत संविदाओं की विशेष निकासी कर सकता है या अतिरिक्त विशेष मार्जिन लगा सकता है या ऐसे अन्य उपाय करें जो सम्बद्ध प्राधिकारी तय कर सकें।

4.17. सम्बद्ध प्राधिकारी के पास किसी भी समय और समय–समय पर सभी या किसी भी सदस्य को किसी सदस्य द्वारा की गई संविदाओं से संबंधित जानकारी देने वाले विस्तृत विवरण को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कहने की शक्ति होगी जो निर्धारित किया जा सकता है।

विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी जानकारी निम्नलिखित मामलों से संबंधित हो सकती है:

(क) किसी सदस्य द्वारा अपने खाते से किसी अन्य सदस्य के द्वारा किए गए लेन–देन और किसी सदस्य द्वारा दूसरों की ओर से किए गए लेन–देन;
(ख) एक सदस्य और अन्य लेगों की खुली स्थिति जिनकी ओर से सदस्य ने लेन–देन में प्रवेश किया है;
(ग) किसी सदस्य या उसके ग्राहकों द्वारा रखे गए वस्तुओं/प्रतिभूतियों के स्टॉक;
(घ) किसी सदस्य और/या उसके ग्राहकों के संबंध में निर्यात और आयात प्रतिबद्धताएं, और हाथ पर निर्यात और आयात आदेश; और
(ड.) किसी सदस्य और/या उसके ग्राहकों की भौतिक खरीद और/या बिक्री को अग्रेषित करें।

4.18. सम्बद्ध प्राधिकारी के पास इन उप–विधियों के तहत एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी भी बयान को सत्यापित या जांचने, किसी भी सदस्य की पुस्तकों के उत्पादन के लिए कॉल करने और/या किसी भी सदस्य से स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति होगी। कोई सदस्य ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है

ification: Restricted

या ऐसा कोई स्पष्टीकरण देने के लिए ऐसी कोई खाता प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके खिलाफ इन उप–विधियों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4.19. जहां सेबी ऐसा करना समीचीन समझती है, वहसीधे या एक्सचेंज के माध्यम से, सदस्यों द्वारा की गई संविदाओं से संबंधित आवधिक विवरण ऐसे फॉर्म या तरीके से मांग सकती है, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

4.20. यदि, किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के लिए गठित सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में, कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है या मौजूद है, या ऐसा करना व्यापार के सामान्य हित में समीचीन है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी आगे के सभी लेन–देन पर रोक लगा सकता है। एक या अधिक अंतर्निहित कमोडिटी प्रतिभूतियों और एक या अधिक संविदा महीनों में वायदा और अन्य संविदा अधिकतम से ऊपर और/या न्यूनतम से कम दर या दर पर, जैसाकि निर्दिष्ट किया जा सकता है; या एक या अधिक अंतर्निहित वस्तुओं में वायदा संविदाओं में सभी लेन–देन/प्रतिभूतियां और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या एक या अधिक संविदा महीने अगली सूचना तक, जैसाकि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

4.21. यदि सम्बद्ध प्राधिकारी और/या सेबी की राय है कि किसी भी संविदा माह में किसी भी वायदा और वायदा संविदा में लेन–देन जारी रखना व्यापार के हित या सार्वजनिक हित या भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े हित के लिए हानिकारक है तो उप–विधियों या उप–विधियों के अधीन की गई किसी भी संविदा में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इस उप–विधि के तहत अधिसूचित किसी भी संविदा महीने से संबंधित प्रत्येक लेन–देन और एक सदस्य और एक सदस्य के बीच या एक सदस्य और ग्राहक के बीच दर्ज किया गया किसी ग्राहक का बकाया ऐसी दर या दरों पर बंद कर दिया जाएगा, जो ऐसी संविदा या संविदा के लिए उपयुक्त हो और ऐसी तारीख से प्रभावी हो जो सम्बद्ध प्राधिकरण और/या सेबी द्वारा तय की जाएगी।

ification: Restricted

5. सदस्यता

5.1. एक्सचेंज की सदस्यता एक सदस्य को ऐसी सदस्यता से जुड़े अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देगी, क्योंकि वे समय–समय पर लागू होने वाले एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन, एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए विशेष रूप से लागू होते हैं।

5.2. बोर्ड एक्सचेंज पर व्यापार करने की अनुमति देने वाली विभिन्न वस्तुओं, प्रतिभूतियों या उपकरणों या डेरिवेटिव के लिए एक्सचेंज की सदस्यता को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है और किसी भी वस्तु या समूह में संविदाओं की ट्रेडिंग, समाशोधनऔरनिपटान के लिए विभिन्नश्रेणियों के सदस्योंकोवस्तुएं, प्रतिभूतियां या उपकरण या उनसे प्राप्त डेरिवेटिव के अलग–अलग अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

5.3. एक्सचेंज की सदस्यता हासिल करने का इच्छुक व्यक्ति सदस्यता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर सदस्यता मानदंड निर्धारित कर सकता है। सदस्यता मानदंडों को पूरा करने मात्र से कोई आवेदक एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने का हकदार नहीं हो जाएगा। सदस्यता इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

5.4. व्यक्तियों पर लागू होने वाले संगम अनुच्छेदों और उप–विधियों, नियमों और विनियमों के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ उन फर्मों, एलएलपी, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट निकायों पर लागू होंगे जो एक्सचेंज के सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं।

5.5. एक्सचेंज का एक सदस्य समय–समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित टीडब्ल्यूएस और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वीएसएटी/लीज लाइन/इंटरनेट या मुख्य और बैक आईपी कनेक्टिविटी के रूप में कनेक्टिविटी के किसी अन्य मोड की स्थापना के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर बनाए रखेगा।

5.6. एक्सचेंज का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार या उससे जुड़े किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार को आवंटित नहीं करेगा, रेहन नहीं रखेगा, गिरवी नहीं रखेगा, या शुल्क नहीं लेगा, और ऐसा कोई भी प्रयास एक्सचेंज के खिलाफ प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड एक्सचेंज के किसी भी सदस्य को निष्कासित कर देगा जो इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है या कार्य करने का प्रयास करता है।

5.7. एक्सचेंज के सदस्यता अधिकार उन नियमों और शर्तों के अधीन हस्तांतरणीय है जो एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर इस संबंध में निर्धारित किए जा सकते हैं और एक्सचेंज की पूर्व मंजूरी के अधीन भी हैं।

5.8. इस उद्देश्य के लिए नियुक्त बोर्ड या समितियां गोदामों में संग्रहीत वस्तुओं के भंडारण और व्यवहार, वितरण प्रक्रिया, नमूने लेने के तरीके, परीक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन, ग्रेड का निर्धारण और वैधता/अंतिम समाप्ति अवधि, गुणवत्ता का निर्धारण के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं और विविधता, सर्वेक्षण, परिवहन, पैकिंग, वजन, कटौतियों और भत्तों की प्रयोज्यता एवं अंतिम निपटान प्रक्रियाएं निर्धारित करेंगी।

5.9. एक्सचेंज के सदस्य केवल उन्हीं संविदाओं में प्रवेश कर सकते हैं जो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हों।

5.10. सदस्य एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों पर ही संविदा में प्रवेश करेंगे।

5.11. कोई भी सदस्य एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार व्यापार शुरू होने से पहले/व्यापार समाप्त होने के बाद किसी संविदा में प्रवेश नहीं करेगा।

ification: Restricted

5.12. एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई किसी भी संविदा और आधार किस्मों में लेनदेन करने वाला कोई भी सदस्य अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित उप–विधियों के तहत निपटा जा सकता है।

5.13 सदस्यों को एक्सचेंज द्वारा अनुमत सभी संविदाओं में अपने सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होगा।

5.14 सेबी द्वारा अनुमत वस्तुओं और प्रतिभूतियों में संविदाओं के लिए लेनदेन निषिद्ध है। कोई भी सदस्य जो इस उप–विधि का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या जो किसी भी उल्लंघन में सहायता करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है, वह एक्सचेंज की सदस्यता से निलंबन और/या निष्कासन या एक्सचेंज द्वारा अपने उप–विधि, नियम और विनियम के तहत की जाने वाली किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

5.15 सदस्यों को बेस न्यूनतम पूंजी, बेस कैपिटल, एक्सचेंज के पास जमा राशि बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जैसाकि एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

5.16 क्लियरिंग सदस्यों को एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट 'लिक्विड नेटवर्थ' बनाए रखना होगा।

5.17 **स्वीकृत उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण और डी–पंजीकरण**

5.17.1 एक्सचेंज के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन केवल अपने अधिकृत प्रतिनिधियों और/या अनुमोदित उपयोगकर्ताओं को टीडब्ल्यूएस संचालित करने, या एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित किसी अन्य ट्रेडिंग सिस्टम में व्यापार करने की अनुमति देंगे।

5.17.2 उपयोगकर्ताओं की नियुक्ति ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी और ऐसे फॉर्म में आवेदन जमा करना होगा जो सम्बद्ध प्राधिकारी एक्सचेंज के नियमों और विनियमों में समय–समय पर निर्धारित कर सकता है।

5.17.3 एक्सचेंज, अपने विवेक पर, उप–विधियों, नियमों और विनियमों के लागू प्रावधानों का पालन करने में विफलता के लिए किसी सदस्य के अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमादित उपयोगकर्ता का पंजीकरण रद्द कर सकता है; लेकिन संबंधित सदस्य एक्सचेंज द्वारा डी–पंजीकरण से पहले किए गए कमीशन और/या चूक के कृत्यों और/या डी–पंजीकरण के परिणामस्वरूप होने वाली हानि/क्षति के लिए उत्तरदायी रहेगा।

5.17.4 सम्बद्ध प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत होने से रोकने का अधिकार होगा, या ऐसी शर्तों के साथ पंजीकरण की अनुमति दे सकता है, जैसाकि ऐसे प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है।

5.17.5 किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय एक से अधिक सदस्यों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5.17.6 सम्बद्ध प्राधिकारी के पास एक्सचेंज की अनुमोदित प्रणाली के उपयोग के विभिन्न स्तरों को निर्धारित करने की शक्ति होगी, और वह किसी सदस्य के अधिकृत प्रतिनिधियों या अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा टीडब्ल्यूएस, ऑर्डर प्रविष्टि आदि पर पूछताछ के लिए मानदंड भी निर्धारित कर सकता है।

5.18 **बाजार निर्माता**

5.18.1.सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर बाजार निर्माण के लिए पात्र संविदाओं को निर्दिष्ट कर सकता है।

ification: Restricted

5.18.2. सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर परिचालन मापदंडों, मानदंड और पात्रता, पंजीकरण की प्रक्रिया, कार्यों, अधिकारों, देनदारियों, बाजार निर्माताओं के निलंबन और निषेध को निर्धारित कर सकता है।

5.19 एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा किए गए सभी व्यापारों के संबंध में, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सदस्यों को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा, जिसमें उससे संबंधित निपटान दायित्व भी शामिल होंगे। ऐसी सभी रिपोर्ट और दायित्व एक्सचेंज के सदस्यों पर बाध्यकारी होंगे।

5.20 एक्सचेंज के सदस्य एक्सचेंज को ऐसी रिपोर्ट प्रदान करेंगे जो एक्सचेंज या संबंधित प्राधिकरण समय–समय पर सदस्यों से मांग सकता है। ऐसी रिपोर्टों का विवरण एक्सचेंज के नियमों और विनियमों में प्रदान किया जाएगा।

5.21 एक्सचेंज के सदस्य ऐसी रिपोर्ट प्रदान करेंगे, जैसा सेबी या सम्बद्ध प्राधिकरण निर्धारित कर सकता है।

5.22 एक क्लियरिंग सदस्य किसी भी घटना के बारे में एक्सचेंज को सूचित करेगा, जो क्लियरिंग सदस्य की वित्तीय ताकत को खतरे में डाल सकता है या एक्सचेंज के सर्वोत्तम हित में अपना व्यवसाय संचालित करने की क्लियरिंग सदस्य की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है।

5.23 एक्सचेंज के सभी सदस्यों के साथ–साथ अन्य बाजार मध्यस्थों को ऐसे खातों, रजिस्टरों, विवरणों और अन्य रिकॉर्ड्स को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखना आवश्यक होगा, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकरण या सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड अच्छे क्रम में रखे जाएंगे और कम से कम दस साल या ऐसी अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे, जो सम्बद्ध प्राधिकरण या सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड, जब भी आवश्यक हो, निरीक्षण के लिए सदस्य द्वारा एक्सचेंज को उपलब्ध कराए जाएंगे।

क. एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य सेबी को उस स्थान के बारे में सूचित करेगा जहां खाते की किताबें, रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे जाते हैं।

ख. एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक लेखा अवधि की समाप्ति के बाद, सेबी को, यदि आवश्यक हो, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन उक्त अवधि की समाप्ति से छह महीने के भीतर उक्त लेखांकन अवधि के अंत में अंकेक्षित बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाता की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

बशर्तेकि, यदि निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो सदस्य सेबी को देरी के कारणों और उस समय की अवधि के साथ सूचित करेगा जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

5.24 एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य एक्सचेंज द्वारा लेखा परीक्षा और जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करेगा और एक्सचेंज के निर्देश पर आवश्यक सभी किताबें, रिकॉर्ड, फाइलें और ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा। लेखा परीक्षा और जांच एक्सचेंज सदस्य के अपने ग्राहक को व्यापार, समाशोधन और निपटान सेवाओं के प्रदाता के रूप में मामलों के साथ–साथ सीधे या किसी अन्य समाशोधन सदस्य के माध्यम से उसके व्यापार के संबंध में भी सीमित होगी।

5.25 सदस्य की रिपोर्ट और एक्सचेंज की रिपोर्ट के बीच बेमेल के कारण ऑर्डर या ट्रेड से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में, एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार रिपोर्ट अंतिम, निर्णायक और सदस्यों पर बाध्यकारी होगी।

ification: Restricted

6. संविदा

6.1 इस उद्देश्य के लिए नियुक्त और सशक्त बोर्ड या समिति वस्तुओं और प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव में संविदाओं के संबंध में संविदा विनिर्देश और संशोधनों को अंतिम रूप देने का अधिकार होगा, जिसके लिए एक्सचेंज ने सेबी से अनुमति प्राप्त की है। एक्सचेंज को किसी भी संविदा के शुरू होने से पहले सेबी की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।

6.2 एक्सचेंज के सदस्य एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट केवल ऐसी संविदाओं में लेनदेन निष्पादित और समाशोधन करेंगे। एक्सचेंज पर अनुमत संविदाओं में सभी लेनदेन केवल एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित तरीके से ही किए जाएंगे।

6.3 सिस्टम में ऑर्डर दर्ज करते समय, सदस्य यह निर्दिष्ट करेगा कि ऐसा ऑर्डर उसके अपने खाते पर है या यह उसके ग्राहक के खाते पर है। यदि आदेश किसी ग्राहक के लिए और उसकी ओर से है, तो उसे संबंधित ग्राहक पहचान संख्या निर्दिष्ट करनी चाहिए।

6.4 एक्सचेंज पर अनुमत संविदाओं में सभी लेन–देन एक्सचेंज द्वारा नियुक्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा क्लीयर, पंजीकृत और निपटान किए जाएंगे और एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के अधीन होंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सचेंज में की गई संविदाओं के वित्तीय प्रदर्शन को समाशोधन, पंजीकृत और निपटान करेगा।

6.5 एकसचेंज के सदस्य एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर अपने संबंधित ग्राहकों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए संविदा नोट जारी करेंगे। ऐसे संविदा नोट एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी किए जाएंगे। सदस्य किसी भी लेनदेन के लिए संविदा नोट जारी नहीं करेंगे, जिसे एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से निष्पादित नहीं किया गया है।

6.6 एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा निष्पादित सभी संविदाओं के संबंध में, संबंधित सरकारी विभागों को सीधे सभी डिलीवरी के साथ–साथ संविदाओं के संबंध में सभी लागू वैधानिक शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर और लेवी का भुगतान करना संबंधित सदस्यों की जिम्मेदारी होगी।

6.7 केवल एक्सचेंज पर व्यापार के लिए अनुमत वस्तुओं की संविदाओं में लेनदेन को वैध माना जाएगा, बशर्ते कि क्लियरिंग सदस्य ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को निर्धारित पर्याप्त सुरक्षा और मार्जिन जमा का भुगतानकियाहो। समाशोधन सदस्य जो संविदाओं को पूरा करते हैं, उन्हें वैध बने रहने के लिए अपने संबंधित बकाया लेनदेन के लिए निर्धारित सुरक्षा, मार्जिन जमा और भिन्नता मार्जिन का भुगतान करना होगा। एक्सचेंज के सदस्य जिनके संविदा क्लियरिंग सदस्यों द्वारा मंजूरी दे दिए गए हैं, उन्हें वैध बने रहने के लिए अपने संबंधित बकाया लेनदेन के लिए निर्धारित मार्जिन जमा और भिन्नता मार्जिन का भुगतान करना होगा।

6.8 एक्सचेंज मे व्यापार के लिए अनुमत संविदाओं की दरें और/या कीमतें उस संविदा के लिए निर्दिष्ट नियमों और विनियमों के अनुसार उद्धृत की जाएंगी और कमोडिटी डेरिवेटिव के मामले में वे उस संविदा की अंतर्निहित वस्तु की आधार विविधता के लिए होंगी और उस संविदा की निर्दिष्ट उप–विधियों, नियमों और विनियमों के खंडों में निर्धारित आधार केंद्र/स्थान/उस संविदा की अंतर्निहित वस्तु।

6.9 जब भी आवश्यक हो, बोर्ड को समय–समय पर उस वस्तु या वस्तुओं के समूह की संविदाओं के लिए आधार किस्म को निर्धारित करने, निर्दिष्ट करने और संशोधित करने का अधिकार होगा।

6.10 वस्तुओं और अन्य संविदाओं की सभी संविदाओं की संख्या, और प्रारंभ तथा समाप्ति चक्र को बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत समिति और सेबी की मंजूरी प्राप्त होगी।

6.11 एक्सचेंज को एक्सचेंज पर अनुमत संविदाओं के संबंध में स्थिति सीमा निर्धारित करने, निर्दिष्ट करने और संशोधित करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति की सीमाएं सदस्यता श्रेणियों के लिए भिन्न हो सकती हैं और/या प्रत्येक सदस्य के लिए अलग–अलग हो सकती हैं; और अपवाद बोर्ड या समिति द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। स्थिति सीमाएं और अपवाद नियम प्रत्येक अंतर्निहित वस्तु और संविदा माह के लिए विशिष्ट विनियमों में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

ification: Restricted

बशर्ते, सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित सीमाएं इस उप–विधि के तहत एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं पर लागू होंगी।

6.12 जैसाकि Åपर कहा गया है, बोर्ड या समिति को सेबी की पूर्व मंजूरी के साथ एक्सचेंज पर अनुमत संविदाओं के संबंध में मूल्य सीमा निर्धारित करने, निर्दिष्ट करने और संशोधित करने का अधिकार होगा। ऐसी मूल्य सीमाओं में एक दिन या एक विशिष्ट अवधि के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमत शामिल हो सकती है। मूल्य सीमा की प्रयोज्यता समय–समय पर प्रत्येक वस्तु या संविदा के लिए विशिष्ट विनियमों में निर्दिष्ट की जाएगी।

6.13 एक्सचेंज के पास एक्सचेंज के सदस्य को लेनदेन शुल्क/शुल्क, या कोई अन्य शुल्क/शुल्क निर्दिष्ट करने और चार्ज करने का अधिकार होगा, जैसाकि सेबी विनियमों के तहत अनुमत हो सकता है।

6.14 क) वस्तुओं की संविदाओं में सभी बकाया लेनदेन आमतौर पर बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित, प्रमाणित और नामित किसी एक या अधिक वितरण बिंदुओं और/या गोदामों पर डिलीवरी के लिए होंगे।

ख) डिलीवरी देने या प्राप्त करने से निपटान नहीं की गई सभी बकाया संविदाओं को बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत समिति द्वारा निर्धारित नियत तिथि दर पर बंद कर दिया जाएगा, साथ ही देने में विफल रहने वालों के लिए बोर्ड या ऐसी समिति द्वारा निर्धारित दंड भी दिया जाएगा या सेबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप डिलीवरी प्राप्त न करें।

6.15 किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के लिए गठित बोर्ड या समिति/सलाहकार बोर्ड या संबंधित प्राधिकारी को उस वस्तु या वस्तुओं के समूह की संविदाओं में, बकाया लेनदेन के परिणामस्वरूप उस वस्तु या वस्तुओं के समूह की डिलीवरी के नियमों और तरीके को निर्धारित करने, निर्दिष्ट करने और संशोधित करने का अधिकार होगा।

6.16 यदि ऐसी संविदा का कोई भी पक्ष अपने वित्तीय दायित्वों के संबंध में चूक करता है या संविदा की परिपक्वता पर सामान या सुरक्षा वितरित करने में विफल रहता है, तो दोषी सदस्य सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा और इसके तहत जारी उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उसकी संविदा सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा बंद कर दी जाएगी। इसके बाद एकसचेंज किसी भी चूककर्ता सदस्य से उसकी सुरक्षा जमा राशि और एक्सचेंज के पास मौजूद अन्य निधियों, यदि कोई हो, से बकाया वसूलने का हकदार होगा, साथ ही उसके देनदार सदस्यों से भी और उसके लेनदार सदस्यों के बीच आनुपातिक आधार पर वितरण के लिए उचित राशि वसूल करने का हकदार होगा।

6.2 विकल्पों में लेन–देन

6.2.1 सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय परपुट/कॉल के लिए स्ट्राइक कीमतों ('पैसे में', `पैसे पर या पैसे के पास' और 'पैसे से बाहर') पर सेबी द्वारा अनुमत विकल्पों जैसे नई संविदा पेश कर सकता है। पूर्ववर्ती संविदा की समाप्ति के बाद प्रत्येक माह के लिए क्रमशः विकल्प।

6.2.2 सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर किसी विकल्प की प्रयोग शैली निर्धारित कर सकता है।

6.2.3 एक्सचेंज किसी भी समय अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन या निवेशक हित, बाजार की स्थितियों आदि सहित ऐसे अन्य कारकों और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रयोग कीमतों के साथ विकल्प संविदाओं की अतिरिक्त श्रृंखला शुरू कर सकता है, जैसाकि समय–समय पर तय किया जा सकता है।

6.2.4 सम्बद्ध प्राधिकारी अपने विवेक से, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित आधारों पर डेरिवेटिव संविदाओं में व्यापार को निलंबित कर सकता है :

i. अंतर्निहित प्रतिभूतियों में व्यापार का निलंबन;

ii. निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए;

iii. निष्पक्ष एवं व्यवस्थित बाजार बनाए रखने के उद्देश्य से।

iv. सेबी/केंद्र सरकार के आदेशों का अनुपालन करना।

ification: Restricted

6.2.5 यदि सम्बद्ध प्राधिकारी की राय है कि कोई विशेष अंतर्निहित अब विकल्प ट्रेडिंग के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं है या यदि सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसे कारणों से किसी विशेष विकल्प श्रृंखला में ट्रेडिंग बंद करने का निर्णय लेता है जैसा कि वह ठीक समझता है, यह उस अंतर्निहित पर नए विकल्प पेश करना बंद कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों में उन लेनदेन पर प्रतिबंध लगा सकता है जो पहले से पेश किए गए विकल्प श्रृंखला में नए स्थान खोलते हैं।

6.2.6 यदि ऐसी संविदा में कोई खुली स्थिति नहीं है तो सम्बद्ध प्राधिकारी किसी विशेष विकल्प संविदा में व्यापार बंद कर सकता है।

6.2.7 सम्बद्ध प्राधिकारी उसी आधार पर पुट या कॉल की कुल संख्या को सीमित कर सकता है, जिसे एक एकल निवेशक या निवेशकों का समूह ऐसे समय अवधि के दौरान प्रयोग कर सकता है जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकता है। सम्बद्ध प्राधिकारी एकल निवेशक के खातों में किए जा सकने वाले एकल अंतर्निहित के संबंध में बाजार के एक ही पक्ष में विकल्पों की अधिकतम संख्या को सीमित कर सकता है (यानी, कॉल होल्ड प्लस पुट लिखित या पुट होल्ड प्लस कॉल लिखित) या एक साथ अभिनय करने वाले निवेशकों का समूह।

ification: Restricted

7. एक्सचेंज पर ट्रेडिंग

7.1 ट्रेडिंग दिन

7.1.1 एक्सचेंज ऐसी एक्सचेंज छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में खुला रहेगा, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी किसी भी समय पहले से घोषित कर सकता है, या जैसाकि सेबी द्वारा किसी भी समय निर्दिष्ट किया जा सकता है। जिन दिनों एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली एक्सचेंज पर अनुमत संविदाओं में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगी, उन्हें "ट्रेडिंग दिवस" कहा जाएगा।

7.1.2. हालांकि, एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली ऐसी छुट्टियों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगी जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी या कोई नामित अधिकारी समय–समय पर निर्णय ले सकता है।

7.1.3 एक्सचेंज सभी ट्रेडिंग दिनों में ऐसे घंटों के दौरान व्यापार के लिए खुला रहेगा जैसाकि एक्सचेंज पहले से घोषित कर सकता है और ट्रेडिंग दिनों में व्यापार के लिए अनुमत समय को ट्रेडिंग घंटों के रूप में जाना जाएगा।

7.2 ट्रेडिंग सत्र

सम्बद्ध प्राधिकारी एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर विभिन्न ट्रेडिंग खंडों के लिए अलग–अलग ट्रेडिंग सत्र निर्धारित कर सकता है, और इसके लिए समय और परिचालन आवश्यकताओं पर भी निर्णय ले सकता है, जैसाकि समय–समय पर एक्सचेंज के प्रासंगिक विनियमों में प्रदान किया जा सकता है। सम्बद्ध प्राधिकारी किसी विशेष व्यापारिक दिन या दिनों के लिए ऐसे व्यापारिक सत्रों के समय को कम, बढ़ा या अन्यथा बदल सकता है।

7.2.1 जहां सम्बद्ध प्राधिकारी ने एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर किसी विशेष ट्रेडिंग दिन या दिनों पर किसी ट्रेडिंग सत्र या सत्र के समय को कम, बढ़ाया या अन्यथा बदल दिया है, तो उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक होगा।

7.2.2 सम्बद्ध प्राधिकारी, सेबी की मंजूरी के साथ, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, विशिष्ट परिस्थितियों में किसी या सभी व्यापारिक सत्रों में परिवर्तन, संविदा विस्तार या निलंबित कर सकता है। जहां भी संभव हो, ऐसे परिवर्तनों के बारे में सदस्यों को पहले ही सूचित किया जा सकता है।

7.3 एक्सचेंज अवकाशों में परिवर्तन या रद्दीकरण

7.3.1 असाधारण परिस्थितियों में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, प्रबंध निदेशक किसी भी समय :

क. उप–विधियों के अंतर्गत निर्धारित किसी भी एक्सचेंज अवकाश को बदलना या रद्द करना।

ख. एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम को किसी भी दिन ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रखें, भलेही उस दिन को पहले एक्सचेंज अवकाश घोषित किया गया हो।

ग. एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर एक या एक से अधिक खंडों में एक या एक से अधिक या सभी कमोडिटी प्रतिभूतियों में किसी एक या अधिक या सभी संविदाओं में उतने दिनों के लिए कारोबार बंद करना, जितने आवश्यक समझे जाएं।

बशर्ते कि जब एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर उपरोक्त ट्रेडिंग बंद करने के संबंध में जानकारी इस प्रकार दी जाती है कि वह ऐसी ट्रेडिंग बंद होने के चौबीस घंटे के भीतर सामान्य प्रक्रिया में सेबी तक पहुंच जाए, तो संबंधित प्राधिकारी

ification: Restricted

ऐसी ट्रेडिंग बंद कर सकता है। एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर या सेबी की मंजूरी के बिना लगातार तीन ट्रेडिंग दिनों से अधिक की अवधि के लिए बंद कर सकता है, जब तक कि सेबी का निर्णय एक्सचेंज को प्राप्त न हो जाए।

7.4 प्रभाग

एक्सचेंज कृषि वस्तुओं, धातुओं और अन्य वस्तुओं या प्रतिभूतियों के प्रत्येक या समूह के साथ–साथ व्यापार के विभिन्न केंद्रों के लिए अलग–अलग प्रभागों का गठन कर सकता है, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है और जैसाकि समय–समय पर प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। सम्बद्ध प्राधिकारी एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए ऐसी संविदाओं को स्वीकार कर सकता है जो एक्सचेंज के संबंधित ट्रेडिंग खंड पर एससीआरए के तहत पात्र हैं।

7.5 व्यापार पर प्रतिबंध

सम्बद्ध प्राधिकारी, समय–समय पर, ऐसी संविदाओं में व्यापार पर या ऐसे सदस्यों पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा एक्सचेंज पर संविदाओं और व्यापार से संबंधित उप–विधियों, नियमों और विनियमों में प्रदान किया गया है।

7.6 सदस्य पर व्यापार करने पर प्रतिबंध

7.6.1 एक सदस्य अपने नाम पर या किसीअन्य सदस्य के माध्यम से किसी से भी संविदा में व्यापार नहीं करेगा, यदि एक्सचेंज और/या सेबी उसे ऐसे किसी भी संविदा में प्रवेश करने से रोकता है।

7.6.2 एक सदस्य, जिसे एक्सचेंज द्वारा निष्क्रिय या निलंबित कर दिया गया है, या कोई अधिकृत प्रतिनिधि या अधिकृत उपयोगकर्ता, जिसे एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या जिसका अनुमोदन अस्वीकार कर दिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है या रद्द कर दिया गया है, उसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक्सचेंज या तो अनिश्चितकाल के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।

7.6.3. टीडब्ल्यूएस का पूल

एक्सचेंज के सदस्यों को व्यापार जारी रखने की सुविधा देने के लिए, एक्सचेंज अपने विवेक पर, अपने परिसर में या एक्सचेंज द्वारा तय किए गए अन्य स्थानों पर टीडब्ल्यूएस का एक पूल या पूल प्रदान कर सकता है और ऐसी सुविधा सदस्यों को एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर तय ऐसी शर्तों पर दी जा सकती है। सदस्य या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, एक्सचेंज की पूर्व लिखित अनुमति के साथ, एक्सचेंज में व्यापार करने के लिए ऐसे किसी भी पूल की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

7.6.4 टीडब्ल्यूएस के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति

किसी भी व्यक्ति को एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़े टीडब्ल्यूएस के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति प्रासंगिक नियमों और विनियमों में निर्धारित आवश्यकताओं या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है।

7.6.5 अच्छी मर्यादा के साथ व्यापार करना

एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार करने की अनुमति देने वाला व्यक्ति संगम अनुच्छेदों, उप–विधियों, एक्सचेंज के नियमों और विनियमों में निहित प्रावधानों का पालन करने और अपने व्यवहार में उचित शिष्टाचार बनाए रखने के लिए बाध्य होगा। सम्बद्ध प्राधिकारी, अपने पूर्ण विवेक से, किसी को भी मना कर सकता है। एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार करने के लिए व्यक्ति और किसी भी समय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे किसी भी व्यक्ति के व्यापार के अधिकार को वापस ले सकता है या समाप्त कर सकता है।

7.6.6 कीमतें

एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर निपटाई गई संविदाओं की कीमतें उस तरीके से दर्ज की जाएंगी, जैसा समय–समय पर एक्सचेंज के प्रासंगिक नियमों और विनियमों में निर्धारित किया जा सकता है। एक्सचेंज पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए कोई कीमत दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक कि यह एक्सचेंज के अनुमोदित ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार के नियमित पाठ्यक्रम में नहीं किया जाता है।

ification: Restricted

7.7 दैनिक आधिकारिक सूची

एक्सचेंज द्वारा या उसके अधिकार के तहत कीमतों की एक दैनिक आधिकारिक सूची जारी की जाएगी। कीमतों की ऐसी दैनिक आधिकारिक सूची ऐसे मीडिया में प्रकाशित या प्रदान की जा सकती है, जैसा एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर तय किया जा सकता है, या एक्सचेंज की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

7.8 ट्रेडिंग सुविधा

क. एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर लेनदेन ऑर्डर संचालित, कोट संचालित (बाजार निर्माताओं या जॉबर्स के माध्यम से) और/या ऐसी अन्य प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है जो एक्सचेंज निर्दिष्ट वस्तुओं/प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए प्रदान कर सकता है और जैसाकि उसके तहत समय–समय पर एक्सचेंज के संगत विनियमों में निर्दिष्ट है।

ख. एक्सचेंज अपने विवेक पर अपने सदस्यों और उनके अधिकृत व्यक्तियों और अनुमोदित उपयोगकर्ताओं को ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान कर सकता है।

ग. किसी भी सदस्य के पास एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली, इसकी सुविधाओं, सॉफ्टवेयर और एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली पर प्रदान की गई जानकारी में कोई शीर्षक, अधिकार या हित नहीं होगा और ऐसा कोई दावा किसी भी समय एक्सचेंज के खिलाफ नहीं होगा।

घ. एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति किसी सदस्य को दी जा सकती है, जो एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी जमा राशि का भुगतान और/या शामिल हो सकता है। शुल्क, जैसाकि समय–समय पर जारी सम्बद्ध विनियमों में प्रदान किया जा सकता है।

7.9 ट्रेडिंग के लिए परिचालन पैरामीटर

सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर सम्बद्ध विनियमों में एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर कारोबार की गई संविदाओं में लेनदेन के संबंध में परिचालन मापदंडों को निर्धारित कर सकता है। ऐसे परिचालन मापदंडों में निम्न शामिल हो सकते हैं :

i. सिस्टम डिजाइन, उपयोगकर्ता अवसंरचना, उपयोगकर्ता इंटरफेस और सिस्टम संचालन सहित टीडब्ल्यूएस के कार्यात्मक विवरण का निर्धारण।

ii. एक्सचेंज के किसी अन्य अनुमोदित ट्रेडिंग सिस्टम पर ट्रेडिंग के लिए प्रक्रिया और मानदंडों का निर्धारण।

iii. व्यापार और खुली स्थिति पर सीमाएं बाजार के नुकसान, जोखिम, एकाग्रता और बोली और प्रस्ताव दरों के बीच प्रसार को चिन्हित करती हैं।

iv. व्यापार की इकाइयों का निर्धारण और/या संविदा या ऑर्डर की न्यूनतम और/या अधिकतम मात्रा का निर्धारण, जिसे खरीदने या बेचने की पेशकश की जा सकती है या एक दिन या अवधि में मूल्य में उतार–चढ़ाव की सीमा की अनुमति दी जा सकती है।

v. अलर्ट प्रदान करने के लिए टिक आकार और स्तरों का निर्धारण।

vi. किसी सदस्य और संविदा के लिए अनुमत ट्रेडों के प्राकर का निर्धारण।

vii. विभिन्न ऑर्डरबुक की विशिष्टताएं, ऑर्डर के प्रकार, ऑर्डर की शर्तें और ऑर्डर एवंट्रेडों से संबंधित अन्य विवरण।

viii. निष्पादित लेनदेन की रिकॉर्डिंग का रखरखाव और एक्सचेंज और सेबी को निर्धारितप्र पत्रों में लेनदेन की रिपोर्ट करने का तरीका।

ix. अन्य मामले, जो एक्सचेंज पर अनुमत संविदाओं में व्यापार के सुचारू संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।

7.10 हार्डवेयर और कनेक्टिविटी

सदस्य टीडब्ल्यूएस और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वीएसएटी/लीज लाइन/इंटरनेट या कनेक्टिविटी के किसी भी अन्य मोड को मुख्य और बैकअप कनेक्टिविटी के रूप में स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर बनाए रखेगा, जैसाकि एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्धारित और अनुमति दी जाती है।

ification: Restricted

7.11 ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच का नुकसान

किसी सदस्य के टीडब्ल्यूएस की विफलता या खराबी और/या ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच के नुकसान की स्थिति में, एक्सचेंज अपने विवेक पर और बिना किसी गारंटी के, सदस्य की ओर से बकाया लेनदेन को ऐसे सदस्य से प्राप्त वैध अनुरोध पर बंद करने का कार्य कर सकता है, बशर्तेकि यह एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर लगाए जाने वाले नियमों और शर्तों में हो।

7.12 समापन–आउट–एक्सचेंज सदस्य की जिम्मेदारी

सदस्य अपनी ओर से एक्सचेंज द्वारा किए गए लेनदेन को बंद करने के लिए पूरी तरह से जवाब देह होगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लेनदेन के बंद होने से उत्पन्न होने वाली या उससे होने वाली किसी भी हानि या लागत के खिलाफ एक्सचेंज को क्षतिपूर्ति देगा।

7.13 टीडब्ल्यूएस का आकस्मिक पूल

एक्सचेंज के सदस्यों को उनके टीडब्ल्यूएस की विफलता या खराबी या ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच के नुकसान की स्थिति में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज अपने विवेक पर, अपने परिसर में या टीडब्ल्यूएस का एक आकस्मिक पूल प्रदान कर सकता है। एक्सचेंज द्वारा तय किए गए अन्य स्थान और ऐसी सुविधा एक्सचेंज के सदस्यों को ऐसे नियमों और शर्तों पर दी जा सकती है जो एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर तय किए जा सकते हैं। प्रभावित सदस्य, एक्सचेंज की पूर्व लिखित अनुमति से, व्यापार जारी रखने के लिए ऐसे किसी आकस्मिक पूल की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

बशर्ते कि आकस्मिकता पूल का प्रावधान न करने के कारण सिस्टम की विफलता के मामले में एक्सचेंज पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप एक्सचेंज के सदस्यों को नुकसान हो।

7.14 उपरोक्त प्रावधानों में निहित किसी भी चीज पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके टीडब्ल्यूएस की ऐसी विफलता या खराबी या ट्रेडिंग सिस्टम या टीडब्ल्यूएस के किसी भी आकस्मिक पूल तक पहुंच की हानि किसी सदस्य या ग्राहकों के संबंध में किसी भी दायित्व को कम, परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेगी जो व्यापार, ऐसे सदस्य या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता द्वारा या उसके माध्यम से पहले ही निष्पादित किया जा चुका है।

7.15 आदेश प्रबंधन

एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम पर ऑर्डर दर्ज करने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए किसी सदस्य या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों और अनुमोदित उपयोगकर्ताओं द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें और प्रक्रियाएं समय–समय पर एक्सचेंज के प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट की जाएंगी, जो अन्य बातों के साथ–साथ हो सकती हैं। ऑर्डर प्रविष्टि के समय एक अनुमोदित टीडब्ल्यूएस से अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाने वाले विवरण निर्दिष्ट करें, जैसे, ग्राहक कोड, ऑर्डर का प्रकार, प्रतीक या संविदा कोड, आदि। किसी अन्य ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार के लिए समान प्रक्रियाएं और शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी। एक्सचेंज, और इसका किसी सदस्य, उसके अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

7.16 सदस्य अपने ग्राहक से प्राप्त आदेशों या उनमें संशोधनों को प्रासंगिक रिकॉर्ड में बनाए रखेगा, जैसाकि एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर जारी किए गए व्यावसायिक नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

7.17 ट्रेड प्रबंधन

एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर ऐसी संविदाओं में ट्रेडिंग की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए स्वीकार किया जा सकता है और एक्सचेंज के सदस्यों की ऐसी श्रेणियों, व्यापार के प्रकार, बाजार के प्रकार, निपटान अवधि और सम्बद्ध प्राधिकारी के रूपमें ऐसे ट्रेडिंग घंटों के लिए अनुमति दी जाएगी जिसे समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है या जैसाकि समय–समय पर उसके तहत जारी नियमों और विनियमों में प्रदान किया जा सकता है।

7.18 एक सदस्य एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर निष्पादित सभी ट्रेडों के लिए उत्तरदायी होगा, जो उसके द्वारा सिस्टम में दर्ज किए गए ऑर्डर से उत्पन्न होंगे। सदस्य ऐसे सदस्य द्वारा तैनात किए गए अधिकृत प्रतिनिधियों या अनुमोदित उपयोगकर्ताओं, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के कमीशन और/या चूक के सभी कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिससे उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में और आयोग के ऐसे कृत्यों के लिए प्रासंगिक होगा।

बशर्ते, यदि सदस्य एक्सचेंज को संतुष्ट करता है कि कार्रवाई और/या व्यापार उसके, उसके अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता और/या सदस्य के किसी कर्मचारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण हुआ है तो कार्रवाई और/या व्यापार उसके किसी अनुमोदित टीडब्ल्यूएस और/या एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए

ification: Restricted

गए टीडब्ल्यूएस पूल से उत्पन्न नहीं हुआ और सदस्य या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है, सम्बद्ध प्राधिकरण इस तरह के निर्देश जारी कर सकता है/वह न्यायपूर्ण मानता है और उचित एवं वही सदस्य पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे निर्देशों में सदस्य (ओं) को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना, और/या इस प्रकार किए गए व्यापार को रद्द करना शामिल हो सकता है।

7.19.व्यापार और व्यापार विलोपन की अनुल्लंघनीयता

7.19.1. एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के अधीन एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में किए गए सभी लेनदेन उल्लंघन योग्य होंगे और एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के अनुसार समाशोधित और निपटान किए जाएंगे। हालांकि, एक्सचेंज उस संबंध में एक ट्रेडिंग सदस्य के आवेदन पर एक नोटिस द्वारा सौदे को रद्द कर सकता है, यदि संबंधित प्राधिकारी सौदे के अन्य पक्ष/पक्षों को सुनने के बाद संतुष्ट है कि सौदा धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी या व्यापार में भौतिक गलती के कारण रद्दीकरण के लिए उपयुक्त है।

7.19.2. उपरोक्त खंड (क) में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक्सचेंज, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के उचित विनियमन के लिए, किसी भी समय स्वतः संज्ञान लेते हुए सौदे को रद्द कर सकता है, यदि संबंधित प्राधिकारी निम्नलिखित कारणों से संतुष्ट है लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए कि ऐसे सौदे धोखाधड़ी, गलत बयानी या बाजार या और इसी तरह से दूषित हैं।

7.19.3. उपरोक्त खंड (क) और (ख) के अनुसार किया गया कोई भी विलोपन अंतिम होगा और व्यापार करने वाले पक्षों पर बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में, ट्रेडिंग सदस्य अपने घटकों के साथ प्रासंगिक संविदा रद्द करने का हकदार होगा।

7.19.4. **व्यापार विलोपन**

7.19.4.1 एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग सिस्टम पर निष्पादित ट्रेड अपरिवर्तनीय और लॉक–इन हैं और एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार समाशोधित और निपटान किए जाएंगे। हालांकि, एक्सचेंज एक नोटिस द्वारा, सदस्य या उसके समाशोधन सदस्य के आवेदन पर ट्रेडों को रद्द कर सकता है, यदि सम्बद्ध प्राधिकारी अन्य सदस्य (ओं) को सुनने और ट्रेडों के लिए सदस्य (सदस्यों) को मंजूरी देने के बाद संतुष्ट है कि ट्रेडों को धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी या भौतिक गलती के कारण रद्द करना आवश्यक है या व्यापार में किसी दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि के कारण सिस्टम में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

7.19.4.2इसके तहत जारी की गई उप–विधियों, नियमों और विनियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एक्सचेंज, ग्राहकों और जनता के हितों की रक्षा के लिए और बाजार के उचित विनियमन के लिए, किसी भी समय ट्रेडों को स्वतः रद्द कर सकता है, यदि संबंधित प्राधिकारी कारणों से संतुष्ट है। लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए कि पर्याप्त कारण मौजूद है जिसमें धोखाधड़ी, गलत बयानी या बाजार या मूल्य में हेरफेर, या कृत्रिम या गलत बाजार डिजाइन करना, पैसा या बकाया वसूलने या धोखाधड़ी करने के इरादे से व्यापार करना शामिल है या सिस्टम या सिस्टम विफलताओं और त्रुटियों आदि का दुरूपयोग करें।

7.19.4.3यहां दिए गए प्रावधनों के अनुसार रद्दीकरण ट्रेडों की पूर्ण मात्रा या आंशिक मात्रा के लिए हो सकता है।

7.19.4.4उसके तहत जारी उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार किए गए ट्रेडों का कोई भी विलोपन अंतिम होगा और एक्सचेंज के सदस्यों पर बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में, सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों को जारी की गई संबंधित संविदा स्वतः ही रद्दकर दी जाएंगी और ग्राहक समाशोधन सदस्यों और घटक सदस्यों एवं एक्सचेंज सदस्यों और उनके ग्राहकों के बीच, जैसा भी मामला हो, किसी भी अधिकार के बिना ऐसे रद्दीकरण से बाध्य होंगे।

7.20 आदेश सत्यापन

एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग सिस्टम पर ऑर्डर मात्रा, मूल्य, मूल्य आदि से संबंधित ऐसी सत्यापन जांच के अधीन होंगे, जैसाकि समय–समय पर जारी किए गए एक्सचेंज के प्रासंगिक नियमों और विनियमों में निर्धारित किया जा सकता है। किसी सदस्य द्वारा संविदाओं की खरीद या बिक्री के सभी आदेशों को केवल एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से दर्ज करना आवश्यक होगा।

7.21 मिलान नियम

एक्सचेंज समय–समय पर अपने प्रासंगिक विनियमों में एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर ऑर्डर के मिलान के लिए लागू किए

ification: Restricted

जाने वाले नियम या सिद्धांतों को निर्दिष्ट कर सकता है, जो अलग–अलग ऑर्डर बुक के लिए भिन्न हो सकते हैं। जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, ऑर्डर का मिलान मूल्य–समय प्राथमिकता पर किया जाएगा।

जहां सम्बद्ध प्राधिकारी की राय है कि ऐसा करना व्यापार या सार्वजनिक हित में है, वह किसी भी समय, किसी विशिष्ट संविदा या किसी विशेष संविदा के मामले में, किसी विशेष ऑर्डर बुक या मिलान के रूपों को, संविदाओं का समूह या किसी सदस्य या एक्सचेंज के सदस्यों के एक वर्ग या सम्पूर्ण एक्सचेंज के सदस्यों के लिए अनुपलब्ध कर सकता है।

7.22 लेन–देन जहां एक्सचेंज एक कानूनी काउंटर पार्टी के रूप में कार्य करता है

यदि एक्सचेंज द्वारा जांच करने पर, एक्सचेंज यह निष्कर्ष निकालता है कि या तो किसी भी संविदा में सभी लेनदेन या उसके हिस्से को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर फर्जी तरीके से निष्पादित किया गया है और/या वित्तीय लेनदेन या संरचित सौदों के रूप में किया गया है और/या सेटलमेंट गारंटी फंड को धोखा देने के इरादे से, एक्सचेंज के सम्बद्ध प्राधिकारी के पास किसी भी लेनदेन के लिए कानूनी प्रतिपक्ष के रूप में खुद को वापस लेने का पूर्ण अधिकार और विवेक होगा।

बशर्ते कि जहां सम्बद्ध प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लेनदेन के लिए कानूनी प्रतिपक्ष के रूप में खुदको पूर्ण या आंशिक रूप से, और/या लेनदेन के दोनों तरफ या एक तरफ से वापस लेने का निर्णय लेता है, वह एक अवसर प्रदान करेगा। ऐसे निर्णय से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी। इसके बाद सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय तुरंत लागू होगा और ग्राहकों सहित सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.23 कोड और परिचालन पैरामीटर्स की विशिष्टता

सम्बद्ध प्राधिकरण संविदाओं, सदस्यों, अधिकृत प्रतिनिधियों, अनुमोदित उपयोगकर्ताओं, प्रतिभागियों और ग्राहकों के लिए विशिष्ट कोड के विनिर्देश, परिवर्तन और रद्दीकरण और टिक आकार, ट्रेडिंग इकाइयों, ऑर्डर प्रकार, ऑर्डर विशेषताओं, ऑर्डर मिलान तर्क, बाजार दृश्य सामग्री, एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित और अपनाए गए ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से व्यापार के लिए भागीदारी मानदंड के लिए परिचालन मापदंडों के लिए एक उचित तंत्र प्रदान कर सकता है। सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर लागू होने वाले एक्सचेंज के प्रासंगिक विनियमों में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अन्य पैरामीटर के लिए भी प्रावधान कर सकता है।

7.24 निगरानी, बाजार निगरानी प्रणाली, जांच और सदस्यों का डेटाबेस

एक्सचेंज, अपने विवेक पर, निगरानी, जांच और किसी भी अन्य बाजार संबंधी गतिविधियों से संबंधित कार्यों की देखभाल करने का निर्णय ले सकता है, या तो स्वयं या आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक अलग इकाई द्वारा या उसके द्वारा स्थापित एक अलग और विशिष्ट इकाई द्वारा, या तो संयुक्त रूप से या किसी अन्य संस्था के सहयोग से।

7.25 एक्सचेंज को किसी चूककर्ता समाशोधन सदस्य के वित्तीय दायित्वों की गारंटी अन्य सदस्यों को देने के लिए नहीं माना जाएगा, जो उसके माध्यम से समाशोधन और निपटान कर रहे हैं।

7.26 एक्सचेंज को अपने ग्राहकों के लिए एक्सचेंज के किसी भी सदस्य के वित्तीय दायित्वों की गारंटी देने वाला नहीं माना जाएगा; और एक्सचेंज को एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉरपोरेशन से गुजरने वाले किसी भी सामान या किसी दस्तावेज की डिलीवरी, शीर्षक, वास्तविकता, गुणवत्ता या वैधता की गारंटी देने वाला नहीं माना जाएगा–
निम्नलिखित प्रावधान उन संविदाओं के संबंध में लागू होंगे जो एक्सचेंज में लेन देन किए जाते हैं और फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से क्लियरिंग, निपटान और बंद किए जाते हैं :

7.26.1 एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य एक्सचेंज, अपने समाशोधन सदस्य और ग्राहकों के प्रति अपनी सभी प्रतिबद्धताओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, भले ही एक या अधिक ग्राहक जिनके साथ उसका लेनदेन है, उन्होंने चूक की हो। किसी एक या अधिक ग्राहकों की चूक से समाशोधन सदस्य के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। किसी एक या अधिक ग्राहकों की चूक अन्य ग्राहकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी जिनके साथ सदस्य का लेनदेन है लेकिन जो चूक में नहीं हैं;

7.26.2 एक्सचेंज प्रत्येक समाशोधन सदस्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही शेष समाशोधन सदस्य जिनके साथ इसका लेनदेन है, ने उन परिस्थितियों को छोड़कर चूक की है जहां अनुचित व्यापार निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) के तहत कवर नहीं किया गया है, जो चूक का कारण है। किसी एक या अधिक समाशोधन सदस्यों की चूक से शेष समाशोधन सदस्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो चूककर्ता नहीं हैं। एक्सचेंज की ऐसी जिम्मेदारी के निर्धारण और उसे पूरा करने में

ification: Restricted

सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उप–विधि, नियम और विनियम लागू किए जाएंगे;

7.26.3 एक्सचेंज किसी चूककर्ता समाशोधन सदस्य की अपने घटक सदस्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिनके साथ समाशोधन सदस्य का उप–विधियों के अनुसार एक समझौता है;

7.26.4 कोई भी क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से क्लीयरेंस, निपटान या मार्जिन का भुगतान करने में विफल नहीं होगा या क्लियरिंग कॉरपोरेशन को नुकसान का भुगतान करने में विफल नहीं होगा या केवल उसके घटक सदस्यों सहित अन्य एक्सचेंज और ग्राहक के चूक के आधार पर डिलीवरी को प्रभावित करने में विफल रहेगा; और

7.26.5 कोई भी घटक सदस्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से मार्जिन की निकासी, निपटान या भुगतान करने में विफल नहीं होगा या अपने संबंधित क्लीयरिंग सदस्य को नुकसान का भुगतान करने में विफल नहीं होगा, जिसके साथ उसका इन उप–विधियों के अनुसार एमझौता है या केवल अपने ग्राहकों सहित अन्य लोगों की चूक के आधार पर डिलीवरी करने में विफल रहता है।

ification: Restricted

8. मार्जिन

8.1 एक्सचेंज पर लेनदेन की जाने वाली संविदाओं के संबंध में, खरीदार और विक्रेता प्रारंभिक मार्जिन और ऐसे अन्य मार्जिन के रूप में ऐसी राशि पोस्ट करेंगे, जो समय–समय पर सम्बद्ध प्राधिकरण और/या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

8.2 जब ऐसे घटक सदस्य या समाशोधन सदस्य द्वारा अतिरिक्त मार्जिन या किसी अन्य देय भुगतान की मांग का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी किसी घटक सदस्य और या समाशोधन सदस्य की खुली स्थिति को समाप्त कर सकता है।

8.3 मार्कटू मार्केट सेटलमेंट/दायित्व का भुगतान करने में विफलता के कारण एक्सचेंज सदस्यों को निष्क्रिय/निलंबित किया जा सकता है और एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित किया जा सकता है। सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसे अन्य तत्काल उपाय भी कर सकता है जिनमें बकाया खुली स्थितियों का निपटान शामिल है। एक्सचेंज चूककर्ता सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

8.4 समाशोधन सदस्यों द्वारा उनके घटक सदस्यों और ग्राहकों से किसी भी रूप में प्राप्त मार्जिन जमा को अलग–अलग खातों में अलग से रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल संबंधित घटक सदस्य और ग्राहक की स्थिति के लाभ के लिए किया जाएगा।

8.5 जब एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्लीयरिंग सदस्य द्वारा अतिरिक्त मार्जिन या किसी अन्य देय भुगतान के लिए कॉल का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी क्लीयरिंग सदस्य के रिक्त पदों को समाप्त कर सकता है।

8.6 एक्सचेंज के सदस्य मार्जिन जमा केवल उसी रूप में पोस्ट और स्वीकार करेंगे जिसकी अनुमति सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा दी गई हो।

8.7 सदस्यों के मार्जिन खाते को क्लीयरिंग सदस्यों द्वारा केवल मार्किंग–टू–मार्केट पर क्लीयरिंग सदस्य को देय राशि का निपटान करने या उनके खुली स्थिति के परिणामस्वरूप दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकृत किया जाएगा; और

8.8 सदस्य अपने ग्राहकों को ऐसी रिपोर्ट लिखित रूप में और ऐसे अंतराल पर प्रस्तुत करेंगे जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

8.9 प्रत्येक समाशोधन सदस्य घटक सदस्यों से, जिनके साथ उप–विधियों के अनुसार समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए उसका समझौता है, समाशोधन और निपटान के लिए घटक सदस्यों द्वारा निष्पादित लेनदेन पर सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट सभी मार्जिन एकत्र करेगा।

8.10 एक्सचेंज ऐसे अतिरिक्त या तदर्थ मार्जिन निर्धारित करेगा जो समय–समय पर आवश्यक समझे जाएं और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सदस्यों से इसे एकत्र करने के लिए अधिकृत करें।

8.11 निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के रूप में मार्जिन जमा करने वाले सदस्य, एक्सचेंज की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त निर्दिष्ट परिसंपत्तियां प्रदान करके, उनके द्वारा कवर किए जा रहे समय के लिए मार्जिन राशि से कम नहीं उसका मूल्य बनाए रखेंगे, जो हमेशा निर्धारित करेगा। उक्त मूल्य और जिसका मूल्यांकन समय–समय पर की जाने वाली किसी भी कमी की

ification: Restricted

मात्रा को निर्णायक रूप से तय करेगा।

8.12 सभी मार्जिन जमाएं एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉरपोरेशन और या अनुमोदित व्यक्तियों और/या अनुमोदित बैंक/कस्टोडियन द्वारा केवल एक्सचेंज के लिए और खाते में जमा करने वाले सदस्य या उसके अन्य लोगों की ओर से किसी भी अधिकार, ऐसे विवेक के प्रयोग पर सवाल उठाने का अधिकार, के बिना रखी जाएंगी।

8.13 इन उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों के तहत मार्जिन जमा करने वाले सदस्य को जब ऐसा करने की आवश्यकता होगी तो ऐसे मामलों के संबंध में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और ऐसे फॉर्म या प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना होगा जो सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

ification: Restricted

9. डिलीवरी

9.1 सम्बद्ध प्राधिकारी संविदा शुरू होने से पहले किसी वस्तु के विभिन्न ग्रेडों को, जिनके लिए निविदा दी जा सकती है, और ऐसे ग्रेडों के लिए छूट और प्रीमियम को पहले से निर्दिष्ट कर सकता है।

9.2 परिपक्व होने वाली संविदा के संविदा माह के अंतिम कारोबारी दिन के अंत में बकाया सभी संविदाओं को सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियत तिथि दर पर सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाएगा।

9.3 सम्बद्ध प्राधिकारी बकाया स्थिति वाले विक्रेताओं पर जुर्माना लगा सकता है जो डिलीवरी ऑर्डर जारी करने में विफल रहते हैं। खरीदार के चूक या विक्रेता के चूक के मामले में, एक्सचेंज गैर–चूककर्ता पार्टी को किसी भी मौद्रिक नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय मुआवजे की गारंटी देगा।

9.4 जो खरीदार डिलीवरी ऑर्डर स्वीकार करने में विफल रहता है, उसे निपटान मूल्य और नियत तिथि दर के बीच अंतर का भुगतान करना होगा और इसके अतिरिक्त, उन्हें ऐसे दंड का भुगतान करना होगा, जो एक्सचेंज द्वारा तय किया जा सकता है। खरीदार की चूक या विक्रेता की चूक के मामले में, एक्सचेंज गैर–चूककर्ता पार्टी को किसी भी मौद्रिक नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय मुआवजे की गारंटी देगा।

9.5 निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे समापन से संबंधित बकाया राशि और दंड का भुगतान करने में विफलता के कारण सदस्य को चूककर्ता घोषित कर दिया जाएगा, और उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

9.6 प्रत्येक डिलीवरी ऑर्डर वस्तु के लिए निर्दिष्ट डिलीवरी की इकाइयों या उसके गुणकों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और इसे निविदा के दिन सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डिलीवरी ऑर्डर दर पर जारी किया जाएगा। एक विक्रेता जो डिलीवरी ऑर्डर/डिलीवरी जारी करता है, उसे संबंधित क्लियरिंग सदस्य के माध्यम से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से संविदा दर या अंतिम निपटान दर, जैसा भी मामला हो, और डिलीवरी ऑर्डर दर के बीच का अंतर प्राप्त करना होगा या भुगतान करना होगा। जिस खरीदार को डिलीवरी ऑर्डर/डिलीवरी सौंपी गई है, उसे संबंधित क्लियरिंग सदस्य के माध्यम से क्लियरिंग कॉरपोरेशन से डिलीवरी के मूल्य के लिए देय राशि के अलावा तुरंत पिछले ट्रेडिंग दिन के निपटान मूल्य और डिलीवरी ऑर्डर दर के बीच का अंतर प्राप्त करना होगा या भुगतान करना होगा।

9.7 एक विक्रेता सदस्य संबंधित वस्तु के लिए केवल एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट डिलीवरी केंद्रों पर ही डिलीवरी की पेशकश करने का हकदार है। डिलीवरी ऐसे निर्दिष्ट केंद्रों पर एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट डिलीवरी प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है। डिलीवरी के लिए टेंडर देने से पहले, विक्रेता को एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध एक सर्वेक्षक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक है और ऐसा प्रमाण पत्र उसके द्वारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दिए जाने वाले डिलीवरी ऑर्डर के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। सर्वेक्षणकर्ताओं या प्रयोगशालाओं सहित एजेंसियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से निविदा किए गए सामान की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करेगा और यह भी पुष्टि करेगा कि ऐसी गुणवत्ता एक्सचेंज के संविदा विनिर्देश के अनुसार निविदा योग्य है। इनमें से किसी भी शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में, डिलीवरी ऑर्डर/डिलीवरी को प्रारंभ से ही अस्वीकार कर दिया जाता है।

9.8 एक्सचेंज के सदस्य और उनके माध्यम से काम करने वाले ग्राहक/घटक समय–समय परसम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट डिलीवरी प्रक्रिया, नमूनाकरण, सर्वेक्षण, परिवहन, भंडारण, पैकिंग, वजन और अंतिम निपटान प्रक्रियाओं के तरीकों का सख्ती से पालन करेंगे। ऐसी पद्धति के किसी भी उल्लंघन से सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट तरीके से निपटा जाएगा।

9.9 वस्तु का विक्रेता निर्दिष्ट वस्तु के लिए समय–समय पर जारी एक्सचेंज के नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के दौरान समाप्त होने वाली संविदा में अपनी शुद्ध बिक्री स्थिति के अनुसार मात्रा वितरित करेगा, जिसे निर्दिष्ट गुणवत्ता की पुष्टि करनी चाहिए। संविदा विनिर्देश में एक्सचेंज ऐसा करने में किसी भी विफलता के मामले में, ऐसी शुद्ध बिक्री की स्थिति नियत तिथि दर के अनुसार बंद कर दी जाएगी और विक्रेता को क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित अंतर का भुगतान करना होगा और इसके अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

9.10 एक खरीदार को उसे सौंपे गए डिलीवरी ऑर्डर/डिलीवरी के अनुसार, सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्दिष्ट गोदाम से डिलीवरी उठानी होगी। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, उसे वृद्धिशील अवधि के लिए गोदाम शुल्क, बीमा शुल्क और भंडारण से संबंधित अन्य खर्चों का भुगतान करना होगा।

ification: Restricted

9.11 डिलीवरी ऑर्डर/डिलीवरी के माध्यम से प्रस्तुत वस्तुओं की गुणवत्ता और वजन/गुणवत्ता प्रमाणन के उद्देश्य से एक्सचेंज प्रयोगशालाओं सहित सर्वेक्षणकर्ताओं या एजेंसियों का एक पैनल नियुक्त कर सकता है।

9.12 वस्तुओं की संविदाओं के संबंध में विक्रेता द्वारा उसके द्वारा जारी किए गए डिलीवरी ऑर्डर के तहतमाल की डिलीवरी देने में विफलता या खरीदार द्वारा उसे सौंपे गए डिलीवरी ऑर्डर के तहत माल की डिलीवरी लेने में विफलता ऐसे विक्रेता या खरीदार को चूककर्ता बना देगी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन उसके द्वारा कारोबार की गई सभी वस्तुओं/प्रतिभूतियों की संविदाओं में उसकी सभी बकाया स्थिति को तुरंत समाप्त कर देगा। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा चुकाई गई उसकी सभी बकाया संविदाओं के संबंध में ऐसी चूक विक्रेता या खरीदार से देय राशि, कुल वित्तीय हानि, यदि कोई हो, सहित, उसके क्लीयरिंग सदस्य से चूककर्ता की सुरक्षा जमा, मार्जिन, प्राप्य उसके खाते में जमा सभी वस्तुओं/प्रतिभूतियों आदि संविदा में से वसूल की जाएगी। यदि इस तरह के समायोजन के बाद, कोई कमी होती है, तो उक्त समाशोधन सदस्य को भी चूककर्ता घोषित किया जाएगा और ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा जैसाकि संबंधित प्राधिकारी इस मामले में निर्णय ले सकता है।

9.13 सम्बद्ध प्राधिकारी संविदाओं के संबंध में आवक और जावक भुगतान के दिन तय करेगा, जो विक्रेताओं द्वारा डिलीवरी ऑर्डर/डिलीवरी जारी करके पूरा किया जाता है।

9.14 सम्बद्ध प्राधिकारी के पास डिलीवरी की अवधि बढ़ाने या डिलीवरी ऑर्डर में डिलीवरी की लम्बी अवधि प्रदान करने की शक्ति होगी यदि उसकी राय में, अप्रत्याशित घटना या श्रमिक हड़ताल या किसी अन्य कारण से समय का विस्तार आवश्य हो गया है जैसा सम्बद्ध प्राधिकारी उचित समझे, उन कारणों को दर्ज किया जाएगा और सम्बद्ध प्राधिकारी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन को शक्ति के ऐसे प्रयोग की सलाह देगा।

9.15 लेनदेन और डिलीवरी को प्रभावित करने के लिए विक्रेता और खरीदार दोनों को समय–समय पर लागू और लागू वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

9.16 उप–विधियों में किसी भी बात के बावजूद, एक्सचेंज अच्छी डिलीवरी सुनिश्चित करेगा।

ification: Restricted

10. निपटान गारंटी निधि

क. क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक "कोर सेटलमेंट गारंटी फंड" की स्थापना और प्रबंधन करेगा। "कोर सेटलमेंट गारंटी फंड" का अर्थ है सेबी द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर निष्पादित ट्रेडों के निपटान की गारंटी देने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित और रखरखाव किया गया एक फंड।

ख. कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के निर्माण, रखरखाव और उपयोग को नियंत्रित करने वाले मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की उप–विधियों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगी।

i. निपटान गारंटी कोष में योगदान और जमा

एक्सचेंज कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में ऐसी राशि का योगदान कर सकता है जो सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और/या एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच सहमति के अनुसार हो सकता है।

1. एक्सचेंज क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों द्वारा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर निष्पादित वास्तविक लेनदेन के निपटान की गारंटी के उद्देश्य से क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ उपयुक्त व्यवस्था करेगा, बशर्ते कि एक्सचेंज ने ऐसे क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों और ऐसे के साथ व्यवस्था की हो और कोर सेटलमेंट गारंटी फंड से भुगतान सेबी द्वारा निर्देशित है।

2. एक्सचेंज द्वारा कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में किया गया योगदान निम्नलिखित स्थितियों में एक्सचेंज को वापस कर दिया जाएगा :

क) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की सेवाओं को बंद करना।

ख)एक्सचेंज द्वारा किसी सेगमेंट को बंद करना।

ग)स्टॉक एक्सचेंज के रूप में गतिविधियों को बंद करना।

घ) कोई भी अन्य स्थिति जो एक्सचेंज के अनुसार एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच व्यवस्था को अव्यवहार्य बना देती है।

ification: Restricted

11. निवेशक संरक्षण कोष

11.1 एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट (ट्रस्ट) द्वारा ट्रस्ट में रखे जाने वाले एक निवेशक सुरक्षा कोष की स्थापना और रखरखाव करेगा।

11.2 किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने की स्थिति में, एक्सचेंज समय–समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करेगा। नोटिस में ऐसे विवरण शामिल होंगे, जिनमें चूककर्ता सदस्य से संबंधित विवरण और निवेशकों द्वारा अपने दावे पर कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल होंगे, जो समय–समय पर सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

11.3 किसी चूक के संबंध में मुआवजे का दावा सेबी/एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट तरीके और ढंग से किया जाएगा। कोई भी दावा जो निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया है, उसे तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि एक्सचेंज की संबंधित समिति अन्यथा निर्धारित न कर दे। किसी निवेशक द्वारा दर्ज किए गए दावों को एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

11.4 एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि एक बार किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित कर दिए जाने के बाद, दावे को मंजूरी और अनुसमर्थन के लिए संबंधित समिति के समक्ष रखा जाएगा। वैध दावों के संबंध में संबंधित समिति की सलाह राशि के वितरण के लिए ट्रस्ट को भेजी जाएगी।

11.5 कोष का उद्देश्य

कोष का उद्देश्य होगा :

क) एक्सचेंज के सदस्य की चूक से उत्पन्न होने वाले योग्य/वैध दावों के संबंध में निवेशकों/ग्राहकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करना, और

ख) निवेशकों/ग्राहकों को शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान या ऐसे अन्य कार्यक्रम प्रदान करना जो फंड के निवेश पर अर्जित ब्याज से सेबी और एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर तय किए जा सकते हैं।

ग) सेबी द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुसार, लंबित कार्यवाही के दौरान निवेशक को मौद्रिक राहत प्रदान करना।

11.6 कोष की संरचना

किसी भी व्यक्ति/इकाई/एक्सचेंज द्वारा निवेशक संरक्षण कोष (ट्रस्ट) में योगदान किया जाने वाला पैसा/राशि सेबी या किसी अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी प्रावधान/निर्देश के अनुसार होगी।

11.7 कोष का प्रबंधन

ट्रस्टियों का फंड के प्रबंधन पर पूरा नियंत्रण होगा। ट्रस्ट डीड के तहत परिभाषित अनुसार ट्रस्टी नियमित अंतराल पर मिलेंगे।

11.8 दावे की सीमा

निवेशक को निवेशक सुरक्षा निधि से भुगतान की जाने वाली राशि, जैसाकि ट्रस्ट द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जा सकता है। ट्रस्ट दावेदारों को मुआवजा तब वितरित करेगा जब चूककर्ता के खिलाफ दावों को स्पष्ट कर दिया जाएगा और संबंधित समिति की सिफारिशों, यदि कोई हों, के आधार पर ट्रस्ट द्वारा भुगतान के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा और ऐसा मुआवजा एकल दावे के लिए तय की गई अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगा।

यदि दावा राशि निवेशक सुरक्षा निधि के तहत अधिकतम मुआवजा सीमा से अधिक है या संबंधित समिति द्वारा स्वीकृत और अनुसमर्थित राशि दावा राशि से कम है तो निवेशक एक्सचेंज तंत्र/किसी अन्य के बाहर शेष राशि के दावे के लिए एक्सचेंज तंत्र के बाहर कानूनी मंच की मध्यस्थता को प्राथमिकता देने के लिए स्वतंत्र होगा।

11.9 आईपीएफ ट्रस्ट के सभी निवेश सेबी/एक्सचेंज/प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी

ification: Restricted

दिशानिर्देशों/परिपत्रों, ट्रस्ट डीड और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होंगे।

11.10 ट्रस्ट के पास समय–समय परसेबी/एक्सचेंज/प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों, ट्रट डीड और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार धन का उपयोग करने की शक्ति होगी।

11.11 कोष के प्रशासन की लागत/व्यय

ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक और सेबी या किसी अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रस्ट के प्रबंधन और प्रशासन के लिए आवश्यक सभी लागत, शुल्क और व्यय का इस कोष से भुगतान किया जाएगा।

11.12 कोष का दायित्व

फंड की देनदारी ट्रस्ट के पास उपलब्ध फंड से अधिक नहीं होगी और फंड की अपर्याप्तता के कारण किसी भी अवैतनिक दावे के संबंध में, एक्सचेंज/ट्रस्ट/ट्रस्टी उत्तरदायी नहीं होगा और निवेशक/ग्राहक चूककर्ता के रूप में घोषित सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

11.13 समापन की स्थिति में अप्रयुक्त कोष

यदि एक्सचेंज बंद हो जाता है, तो ट्रस्ट के पास अप्रयुक्त पडे फंड में शेष राशि को सेबी/किसी अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार माना जाएगा।

11.14 कोष की विवेकाधीन प्रकृति

फंड विवेकाधीन फंड होगा और ट्रस्ट/ट्रस्टी या एक्सचेंज चूककर्ता सदस्य के ऋण कोई कट्ठा करने और/या इस अध्याय में उल्लिखित फंड से भुगतान करने के लिए किसी कानूनी दायित्व के तहत नहीं होंगे।

11.15 एक्सचेंज निवेशक के दावों के प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा के लिए ट्रस्ट को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कर सकता है।

11.16 निवेशक सेवा कोष

एक्सचेंज समय–समय पर सेबी/एक्सचेंज/प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार निवेशक सेवा कोष की स्थापना, निगरानी और उपयोग करेगा।

ification: Restricted

12. सदस्यों और घटकों के अधिकार और दायित्व

12.1सदस्य घटकों/ग्राहकों के निर्देशों और आदेशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं

कोई सदस्य उन संविदाओं या वस्तुओं की खरीद या बिक्री के लिए घटकों के निर्देशों या आदेशों को स्वीकार नही ंकर सकता है जहां परिस्थितियां उचित आधार पर ऐसी गैर–स्वीकृति या अस्वीकृति को उचित ठहराती प्रतीत होती हैं।

12.2चूक में घटक

क) एक सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं करेगा या किसी घटक या व्यापारिक सदस्य के लिए कोई आदेश निष्पादित नहीं करेगा, जो उसकी जानकारी के अनुसार किसी अन्य सदस्य के लिए चूक है, जब तक कि ऐसे घटक ने उस सदस्य के साथ संतोषजनक व्यवस्था नहीं की हो जो उसका लेनदार है।

ख) एक लेनदार सदस्य के आवेदन पर, जो इन उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों में दिए गए चूक घटक के खिलाफ अपने दावे को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है, सम्बद्ध प्राधिकरण या उस ओर से कोई अन्य विधिवत अधिकृत व्यक्ति किसी भी सदस्य के खिलाफ आदेश जारी करेगा। उन्हें चूककर्ता घटक को किसी भी धन या संपार्श्विक का भुगतान करने या वितरित करने से रोकना, ऐसी राशि या मूल्य तक जो लेनदार सदस्य के दावे से अधिक न हो या उसके द्वारा चूककर्ता घटक को वितरित करने योग्य हो। एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के अधीन और उनके अनुसार किए गए व्यापार/लेन–देन, जो धन, वस्तुएं और प्रतिभूतियां एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पासजमा की जाएंगी।

जमा किए गए धन और संपार्श्विक को मध्यस्थता में पुरस्कार के संदर्भ में निपटाया जाएगा और लंबित डिक्री को पुरस्कार दाखिल करते समय संबंधित न्यायालय में जमा किया जाएगा जब तक कि लेनदार सदस्य और चूक घटक परस्पर सहमत न हों।

12.3घटक के खाते को बंद करना

क) सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों के तहत किसी घटक की खुली स्थिति को बंद कर सकता है या उसकी खुली स्थिति को किसी अन्य सदस्य को स्थानांतरित कर सकता है।

ख) किसी घटक के खाते को बंद करते समय, एक व्यापारिक सदस्य/समाशोधन सदस्य खुले बाजार में बंद हो सकता है और इससे होने वाला कोई भी व्यय या कोई हानि घटक द्वारा वहन की जाएगी या ऐसे लेनदेन को अपने पास ले लेगा। उन कीमतों पर मूलधन के रूप में खाता रखें जो बाजार की स्थिति के अनुसार उचित और उचित हों। ऐसे समापन के संबंध में संविदा नोट से पता चलेगा कि ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्य प्रिंसिपल के रूप में कार्यकर रहा है या किसी अन्य घटक के कारण।

12.4यदि कोई सदस्य इन उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार डिलीवरी या भुगतान द्वारा संविदा के निष्पादन को पूरा करने में विफल रहता है, तो घटक, ट्रेडिंग सदस्य/समाशोधन सदस्य और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद, संविदा को बंद कर देगा। एक्सचेंज के किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य/क्लीयरिंग सदस्य के माध्यम से ऐसी संविदा को समाप्त करें या जल्द से जल्द किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य को संविदा हस्तांतरित करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को आवेदन करें और ऐसे समापन के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए आवेदन करें। स्थानांतरण, जैसाभी मामला हो, चूककर्ता ट्रेडिंग सदस्य/समाशोधन सदस्य द्वारा घटक को तुरंत भुगतान किया जाएगा। यदि क्लोजिंग–आउट या स्थानांतरण यहां दिए गए अनुसार प्रभावी नहीं हुआ है, तो पार्टियों के बीच नुकसान का निर्धारण सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट आधार पर किया जाएगा और घटक और ट्रेडिंग सदस्य/क्लियरिंग सदस्य एक दूसरे के विरूद्ध सहारा लेने के आगे के सभी अधिकार खो देंगे।

12.5घटक की वस्तुओं पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं

यदि किसी सदस्य को उसके घटक के कारण वस्तुओं की डिलीवरी के बाद चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, तो घटक दावा करने का हकदार होगा और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक माने जाने वाले सबूत की पेशकश पर, और सम्बद्ध प्राधिकारी के पूर्णविवेक के अनुसार, एक्सचेंज से प्राप्त करेगा, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी निर्देश देता है, या तो ऐसी वस्तुएं/सामान या उसका मूल्य भुगतान या कटौती के अधीन है, यदि कोई राशि उसके द्वारा चूककर्ता को देय है।

ification: Restricted

13. निवेशक सेवा केंद्र और मध्यस्थता

13.1परिभाषाएं

1. "मध्यस्थ" का अर्थ एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का एक पैनल होगा।

2. "अधिनियम" का अर्थ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 होगा और इसमें कुछ समय के लिए लागू कोई भी वैधानिक संशोधन, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन शामिल है।

13.2निवेशक सेवा केंद्र (आईएससी)

एक्सचेंज जनता/निवेशकों के लाभ के लिए ऐसे स्थानों पर निवेशक सेवा केंद्र स्थापित करेगा जो आवश्यक हो या सेबी द्वारा समय–समय पर पहचाने गए हों। आईएससी निवेशकों/ग्राहकों को एक्सचेंज/सेबी द्वारा समय–समय पर तय की गई ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा। आईएससी निवेशकों/ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त करने/रिकॉर्ड करने, शिकायतें दर्ज करने और निवेशकों/ग्राहकों को परामर्श सेवा प्रदान करने की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। आईएससी आवेदन करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, एक्सचेंज से दस्तावेज/विवरण प्राप्त करके विवाद समाधान प्रक्रिया में लगे निवेशकों/ग्राहकों की सहायता के लिए सुविधा डेस्क के रूप में कार्य करेगा।

13.3निवेशक शिकायत : कोई निवेशक/ग्राहक एक्सचेंज के किसी भी सदस्य के खिलाफ स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) या स्मार्ट ओडीआर पोर्टल के माध्यम से या ई–मेल के माध्यम से या एक्सचेंज को लिखित रूप में अपनी शिकायत/विवाद प्रस्तुत कर सकता है। यदि मामला समय–समय पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर हल नहीं होता है, तो शिकायत/विवाद के निवारण के लिए सेबी द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार इसे अगले स्तर/सुलह तक बढ़ाया जाएगा।

13.4स्टॉक एक्सचेंजों में आईपीएफ से भुगतान की गई अंतरिम राहत के लिए सीमा

*(*15 अगस्त, 2023 को पहले प्राप्त शिकायतों/मध्यस्थता/अपीलीय मामलों के लिए लागू*)*

यदि आदेश ग्राहक के पक्ष में है और सदस्य मध्यस्थता का विकल्प चुनता है, जिसमें ग्राहक को स्वीकार्य दावा मूल्य रूपये से अधिक नहीं है। 20 लाख (बीस लाख रूपये) तक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

क. यदि जीआरसी आदेश ग्राहक के पक्ष में है, तो स्वीकार्य द्वारा मूल्य का 50 प्रतिशत या 2.00 लाख रूपये (दो लाख रूपये), जो भी कम हो, स्टॉक एक्सचेंज के आईपीएफ से ग्राहक को जारी किया जाएगा।

ख. यदि मध्यस्थता पुरस्कार ग्राहक के पक्ष में है और सदस्य अपीलीय मध्यस्थता का विकल्प चुनता है, तो मध्यस्थता पुरस्कार में उल्लिखित राशि का 50 प्रतिशत या 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) को सकारात्मक अंतर होगा, जो भी कम हो, और उपरोक्त खंड (क) में ग्राहक को पहले ही जारी की गई राशि, स्टॉक एक्सचेंज के आईपीएफ से ग्राहक को जारी की जाएगी।

ग. यदि अपीलीय मध्यस्थता पुरस्कार ग्राहक के पक्ष में है और सदस्य अपीलीय मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन करने का विकल्प चुनता है, तो राशि का 75 प्रतिशत सकारात्मक अंतर होता है। अपीलीय मध्यस्थता पुरस्कार में उल्लिखित या 5.00 लाख रूपये (पांच लाख रूपये), जो भी कम हो, और उपरोक्त खंड (क) और (ख) में ग्राहक को पहले ही जारी की गई राशि, स्टॉक एक्सचेंज के आईपीएफ से ग्राहक को जारी की जाएगी।

घ. इस परिपत्र के अनुसार आईपीएफ से अंतरिम राहत की सुविधा के माध्यम से ग्राहक को जारी की गई कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में 10.00 लाख (दस लाख) रूपये से अधिक नहीं होगी।

13.5स्वीकार्य दावे के अनुसार आईपीएफ से निवेशक/ग्राहक को जारी की गई राशि जमा या संपार्श्विक या किसी अन्य राशि से आईपीएफ में वापस कर दी जाएगी, जिसमें एक्सचेंज के पास उपलब्ध सदस्य की अवरूद्ध राशि भी शामिल है और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। निम्नलिखित मामलों में निवेशक/ग्राहक (15 अगस्त, 2023 को/उससे पहले प्राप्त शिकायतों/मध्यस्थता/अपीलीय मामलों के लिए लागू) :

ification: Restricted

क. सदस्य स्वीकार्य दावा राशि सुनिश्चित करने वाले आईजीआरपी निर्देशों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर एक्सचेंज को सूचित करता है, मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का उसका इरादा है और निर्धारित समय सीमा यानि तीन साल के भीतर मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने में विफल रहता है।

ख. सदस्य एक्सचेंज या अदालत के अपीलीय मध्यस्थों के समक्ष अपील करने के अपने इरादे या मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ सुधार या सुधार के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 33 के तहत अनुरोध करने के इरादे के बारे में एक्सचेंज को सूचित करने में पुरस्कार प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर विफल रहता है।

ग. सदस्य एक्सचेंज को सूचित करता है कि वह एक्सचेंज या अदालत के अपीलीय मध्यस्थों के समक्ष अपील करना चाहता है, लेकिन निर्धारित समय सीमा (अपीलीय मध्यस्थता के मामले में पुरस्कार की प्राप्ति की तारीख से एक महीने और प्राप्ति की तारीख से तीन महीने) के भीतर पुरस्कार की, अदालत में याचिका के मामले में अपील करने में विफल रहता है, ऐसे मामलों के लिए जहां पुरस्कार के स्पष्टीकरण या सुधार के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया है, अपील के मामले में एक महीने की अवधि और उपरोक्त उल्लिखित याचिका के मामले में तीन महीनों की अवधि सदस्य द्वारा धारा 33 आवेदनों के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से होगी।

घ. मध्यस्थता या अपीलीय मध्यस्थता या अदालती कार्यवाही के समापन के बाद मामले का निर्णय निवेशक/ग्राहक के पक्ष में किया जाता है और सदस्य मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लेता है।

13.6 मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अधीन

इन उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई मध्यस्थता कार्यवाही इन उप–विधियों या विनियमों को प्रदान नहीं की गई सीमा तक अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी।

नियामक निरीक्षण समिति या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य समिति एक्सचेंज के मध्यस्थता तंत्र की देखरेख करेगी।

13.7 मध्यस्थता को संदर्भ

क. एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए सौदों, संविदाओं और लेनदेन से उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित किसी भी आकस्मिक चीज के संदर्भ में सदस्यों के बीच और सदस्यों और घटकों के बीच सभी दावे, मतभेद या विवाद उसके अनुसरण में या उनकी वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति या उसके पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों से संबंधित और इस तरह के लेनदेन, लेनदेन और संविदा किए गए हैं या नहीं, इसके बारे में कोई भी प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा। समय–समय पर लागू होने वाली इन उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता करना।

ख.सदस्यों और प्राधिकृत व्यक्तियों के बीच और प्राधिकृत व्यक्तियों और घटकों के बीच एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए लेनदेन, संविदाओं और लेनदेन से उत्पन्न होने वाले सभी दावे, मतभेद या विवाद या उनसे संबंधित किसी भी प्रासंगिक बात के संदर्भ में या उसके अनुसरण में या उनकी वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति या उसके पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों से संबंधित और इसमें कोई भी प्रश्न शामिल है कि क्या ऐसे लेनदेन, लेनदेन और संविदा किए गए हैं या इन उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो समय–समय पर लागू हो सकते हैं।

हालांकि, दावों, मतभेदों और विवादों के मामले में, जिसमें अधिकृत व्यक्ति एक पक्ष है, जिस सदस्य के साथ ऐसा अधिकृत व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसे प्राधिकृत व्यक्ति के साथ कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जाएगा। स्पष्टीकरण : इन उप–विधियों के प्रयोजन के लिए, एक अधिकृत व्यक्ति के पास एक्सचेंज के नियमों, उप–विधियों और विनियमों में शब्द को निर्दिष्ट अर्थ होगा।

ग. इन उप–विधियों के प्रावधान एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए सभी सौदों, संविदाओं और लेनदेन के लिए उनमें उल्लिखित पार्टियों के बीच सभी दावों, मतभेदों, विवादों पर लागू होंगे, बशर्ते ऐसे लेनदेन, संविदा और लेनदेन किए गए हों। इसमें उल्लिखित पार्टियों के बीच उस तारीख से पहले या उस तारीख तक प्रवेश किया गया, जिस दिन किसी सदस्य को या तो चूककर्ता घोषित किया गया था या निष्कासित कर दिया गया था या उसने अपने सदस्यता अधिकारों को आत्मसमर्पण कर दिया था।

ification: Restricted

13.8 इन उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों को सभी व्यवहारों, संविदाओं और लेनदेन का हिस्सा माना जाता है

सभी लेनदेन, संविदा और लेनदेन में, जो एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन किए जाते हैं या किए जाने माने जाते हैं, मध्यस्थता से संबंधित प्रावधान एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियमों, उप–विधियों और विनियमों में दिए गए हैं। लेनदेन, संविदा और लेनदेन का हिस्स ाबनेगा और माना जाएगा और पार्टियों को लिखित रूपमें एक मध्यस्थता समझौते मे ंप्रवेश करने के लिए समझा जाएगा जिसके द्वारा उपरोक्त उप–विधियो ंमे ंनिर्दिष्टप्रकृति के सभीदावे, मतभेद या विवादहोंगे, कोनियम, उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतकिय ागया।

13.9 क्षेत्राधिकार

इन उप–विधियो ंऔर व्यावसायिक नियमों के तहत मध्यस्थता के संदर्भ में सभी पक्षो ंऔर उनके तहत दावा करनेवाले व्यक्तियों को उप–विधियो ंऔर व्यावसायिक नियमो ंमे ंप्रदानकिए गए सक्षम न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीनमाना जाएगा।

13.10 स्ंदेह को दूरकरने के लिए, यह स्पष्ट किया गया हैकि एक्सचेंज को इन उप–विधियों के तहत निर्दिष्टव्यापार, संविदा और लेनदेन में एक पक्ष नहीं माना जाएगा; और ये उप–विधि एक्सचेंज और सदस्य के बीचदावों, मतभेदों या विवादों के मामले मे ंलागू नही ंहोंगी और एक्सचेंज और सदस्य के बीच कोई मध्यस्थता नही ंहोगी।

13.11 संदर्भों का निर्माण

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सभीदावों, मतभेदों या विवादो ंको इन उप–विधियों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जहांभी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम पार्टियो ंको स्वतंत्र छोड़ देता है एक निश्चित मुद्दे का निर्धारण करने पर, पार्टियोंको उस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारीको अधिकृत माना जाएगा।

13.12 प्रशासनिक सहायता

यह माना जाएगा कि पार्टियों ने मध्यस्थकार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी की प्रशासनिक/मंत्रिस्तरीय सहायता की व्यवस्था की है।

13.13 एक्सचेंज के सदस्य एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली परनिष्पादित लेनदेन के लिए उत्तरदायी हैं

इनउप–विधियों के प्रावधान एक्सचेंज द्वाराजारी एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमोंऔरविनियमों के अधीनकिए गए सभी ट्रेडों, संविदाओं और लेनदेन के लिए उनमें उल्लिखित पार्टियों के बीच सभी दावों, मतभेदों, विवादों पर लागू होंगे, बशर्ते ऐसे ट्रेड हों, उसमें उल्लिखित पार्टियों के बीच संविदा और लेनदेन उस तारीख तक दर्ज किए गए थे, जिस दिन सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया था या निष्कासित कर दिया गया था या उसने अपनी एक्सचेंज सदस्यता सरेंडर कर दी थी।

13.14 मध्यस्थता के संदर्भ के लिए सीमा अवधि

इन उप–विधियों में उल्लिखित सभी दावों, मतभेदों या विवादों को सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित अवधि के भीतर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

13.15 मध्यस्थता में पुरस्कार प्रस्तुत करने या उसका पालन करने में विफलता पर जुर्माना

एक एक्सचेंज सदस्य, जो एक्सचेंज के सदस्यों के बीच या एक्सचेंज सदस्य और गैर–व्यापारिक सदस्य/ग्राहक के बीच मध्यस्थता में किसी भी पुरस्कार को प्रस्तुत करने या उसका पालन करने या उसका पालन करने में विफल रहता है या इनकार करता है, जैसाकि इन उप–विधियों में प्रदान किया जा सकता है, नियमों और विनियमों के अनुसार, सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार पर, जैसा लागू हो, चूककर्ता घोषित किया जाएगा या निष्कासित किया जाएगा।

13.16 मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रकिया

प्रत्येक मामले में, आवेदक और प्रतिवादी या एक्सचेंज द्वारा एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों के पैनल की नियुक्ति की प्रकिया एक्सचेंज/सेबी द्वारा समय–समय पर प्रदान की जाएगी।

ification: Restricted

13.17 मध्यस्थ के कार्यालय में रिक्ति

मध्यस्थ पुरस्कार देने से पहले किसी भी समय, यदि मध्यस्थ का कार्यालय किसी भी कारण से खाली हो जाता है, जिसमें मध्यस्थ की बीमारी या मृत्यु के कारण कोई रिक्ति या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थ के जनादेश की समाप्ति शामिल है। अन्य कारण से, रिक्ति को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करके सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा।

13.18 रिकार्ड की गई कार्यवाही और साक्ष्य

जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, कोई भी मध्यस्थ जिसे मध्यस्थ के कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है, पहले दर्ज की गई कार्यवाही और साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है या पहले से आयोजित किसी भी सुनवाई के लिए नए सिरे से सुनवाई कर सकता है।

13.19 पिछले मध्यस्थ का आदेश या निर्णय

अपने अधिदेश की समाप्ति से पहले दिया गया मध्यस्थ का कोई आदेश या निर्णय केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि उसका अधिदेश समाप्त कर दिया गया है।

13.20 मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

प्रत्येक व्यक्ति जिससे मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, उसे अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने वाली किसी भी परिस्थिति को सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रकट करना होगा। यदि व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति का खुलासा करता है जो संबंधित प्राधिकारी की राय में उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने की संभावना है, तो उसे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

एक मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति के समय से और पूरी मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान, बिना किसी देरी के, उपरोक्त उप–विधि में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति को लिखित रूप में सम्बद्ध प्राधिकारी को प्रकट करेगा जो मध्यस्थ के रूप में उसकी नियुक्ति के बाद उसकी जानकारी में आई हो।

13.21 मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति

जीआरसी सदस्य/मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा यदि :

क) मध्यस्थ किसी भी कारण से कार्यालय से हट जाता है; या

ख) सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में, मध्यस्थ कानूनी रूप से या वास्तव में अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है, जिसमें सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर मध्यस्थ पुरस्कार देने में विफलता भी शामिल है। सम्बद्ध प्राधिकारी का ऐसा निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा; या

ग) मध्यस्थता के दोनों पक्षों से मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त कर दिया जाता है; या

घ) मध्यस्थ इन उप–विधियों में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति का खुलासा करता है जो सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने की संभावना है।

ड.) मध्यस्थता कार्यवाही यहां दिए गए प्रावधान के अनुसार समाप्त की जाती है।

13.22फीस और शुल्क

मध्यस्थता में शुल्क और संदर्भ की कार्यवाही को प्रस्तुत करने और विनियमित करने के लिए शुल्क अग्रिम रूप से देय होंगे और जब किसी पक्ष या पार्टियों की ओर से तदनुसार भुगतान करने में विफलता, उपेक्षा या इनकार होता है तो दूसरा पक्ष ऐसा करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, बिना किसी पूर्वाग्रह के अग्रिम भुगतान करना उसके अधिकार में है, यदि कोई हो तो ऐसी पार्टी या भुगतान में विफल रहने, उपेक्षा करने या इनकार करने वाली पार्टियों से इसकी वसूली कर सकता है। किसी भी संदर्भ की सुनवाई से पहले यह एक शर्त होगी कि संदर्भ के पक्ष या पार्टियों द्वारा निर्धारित शुल्क और शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। बशर्ते कि, किसी सदस्य की ओर से, जिसे चूककर्ता घोषित किया गया है, जिसके खिलाफ मध्यस्थता का संदर्भ दायर किया गया है, मध्यस्थता शुल्क का भुगतान करने में विफलता, उपेक्षा या इनकार के मामले में, सम्बद्ध प्राधिकारी

ification: Restricted

ऐसा भुगतान करने के लिए कदम उठा सकता है और इसे चूककर्ता सदस्य की संपत्ति से वसूल करें। बशर्ते, किसी सदस्य की ओर से, जिसके खिलाफ मध्यस्थता का संदर्भ दायर किया गया है, मध्यस्थता शुल्क का भुगतान करने में विफलता, उपेक्षा या इनकार के मामले में, एक्सचेंज उसे सदस्य की सुरक्षा जमा/सम्पत्ति से डेबिट करेगा।

13.23 वकील, प्रतिनिधि या अधिवक्ता द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही में उपस्थिति

मध्यस्थ कार्यवाही में जहां दोनों पक्ष सदस्य हैं, पार्टियों को वकील, प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जहां पार्टियों में से एक घटक/ग्राहक है, और फिर ऐसे घटक/ग्राहक को वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, वकील या प्रतिनिधि यदि घटक/ग्राहक वकील, वकील या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प चुनता है, तो सदस्य को समान विशेषाधिकार दिया जाएगा।

13.24सेट–ऑफ और काउंटर क्लेम

एक पक्ष द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ पर, अन्य पक्ष या पार्टियां पूर्व पक्ष के खिलाफ मुजरा का दावा करने या प्रतिदावा करने की हकदार होंगी, बशर्ते ऐसा मुजरा या प्रतिदावा व्यापार संविदा से उत्पन्न होता हो या उससे संबंधित हो और एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन और यहां दिए गए मध्यस्थता के अधीन किए गए लेनदेन, और बशर्ते कि इस तरह के सेट–ऑफ या काउंटर दावे को पूर्ण विवरण के साथ, संदर्भ पहली सुनवाई में या उससे पहले प्रस्तुत किया जाए लेकिन बाद में नहीं जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए। स्थगन, यदि कोई हो, मध्यस्थ द्वारा केवल असाधारण मामलों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले वास्तविक कारणों से दिया जाएगा।

13.25 स्थगन, यदि कोई हो, मध्यस्थ द्वारा केवल असाधारण मामलों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले वास्तविक कारणों से दिया जाएगा।

13.26अंतरिम पंचाट अवार्ड और अंतरिम उपाय

मध्यस्थ को अंतरिम मध्यस्थ निर्णय देने और/या सुरक्षा के अंतरिम उपाय प्रदान करने का अधिकार है। एक मध्यस्थ को अंतरिम अवार्ड और/या उपायों के संबंध में एक पक्ष को उचित सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

13.27मध्यस्थता पूरा करने का समय

मध्यस्थ को सेबी द्वारा समय–समय पर एक मध्यस्थ अवार्ड जारी करके निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर मध्यस्थता संदर्भ समाप्त करना होगा।

13.28मध्यस्थ का अवार्ड

प्रत्येक अवार्ड लिखित रूप में दिया जाएगा और मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। अवार्ड में वे कारण बताए जाएंगे जिन पर यह आधारित है, जब तक कि–

(क)पार्टियां इस बात पर सहमत हुई हैं कि कोई कारण नहीं बताया जाएगा; या

(ख)अवार्ड पार्टियों के बीच सहमत शर्तों पर है।

अवार्ड में इसकी तारीख और मध्यस्थता का स्थान बताया जाएगा और निर्णय उसी स्थान पर दिया गया माना जाएगा।

13.29 अवार्ड राशि को वर्गीकृत करने के लिए अवार्ड

चाहे अवार्ड अंतरिम हो या अन्यथा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा कि क्या दी गई राशि एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर निष्पादित लेनदेन से संबंधित है, या किसी संविदा को खरीदने या बेचने के लिए किसी आदेश/निर्देश या भुगतान किए गए धन से संबंधित है/संविदा खरीदने या बेचने के किसी आदेश/निर्देश के संबंध में या यहां निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से एक्सचेंज सदस्य के पास जमा किया गया।

13.30 ब्याज का निर्णय करने के लिए अवार्ड

ification: Restricted

जहां कोई अवार्ड पैसे के भुगतान के लिए है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले किसी भी अवधि के लिए तय की गई मूल राशि पर दिए जाने वाले ब्याज का फैसला कर सकता है और ऐसी मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज का भी फैसला कर सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तिथि से लेकर अवार्ड की तिथि तक की अवधि के लिए और साथ ही निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक ऐसी दर पर निर्धारित कुल राशि पर ब्याज भी। अवार्ड में निर्धारित की जाने वाली ब्याज दर समय–समय पर बैंक दर साधारण ब्याज होगी, साथ ही दंडात्मक ब्याज 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

13.31 अवार्ड का प्रकाशन

अवार्ड दिए जाने के बाद, अवार्ड की एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्ष को दी जाएगी।

13.32 पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों पर अवार्ड बंधन

संदर्भ के पक्षकार सभी मामलों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले का पालन करेंगे और उसे तुरंत लागू करेंगे, जो पार्टियों और उनके संबंधित प्रतिनिधियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, भले ही पहले या बाद में किसी भी पक्ष की मृत्यु हो या कानूनी विकलांगता हो। अवार्ड का निर्माण और ऐसी मत्यु या कानूनी विकलांगता संदर्भ या अवार्ड के निरसन के रूप में कार्य नहीं करेगी या किसी भी तरह से अवार्ड विजेता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। सेबी या एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता मध्यस्थों पर लागू होगी।

13.33 अवार्ड पर सुधार एवं स्पष्टीकरण

क. मध्यस्थता अवार्ड की प्राप्ति से, ऐसे दिनों के भीतर, जैसाकि एक्सचेंज के नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। मध्यस्थता समझौते का कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष को नोटिस देकर, पंचाट न्यायाधिकरण से किसी भी कम्प्यूटेशनल त्रुटि, किसी अंक गणितीय त्रुटि, किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि या अवार्ड में होने वाली समान प्रकृति की किसी अन्य त्रुटि को ठीक करने का अनुरोध कर सकता है।

एक पक्ष, दूसरे पक्ष को नोटिस देकर, किसी विशिष्ट बिंदु या अवार्ड के हिस्से पर स्पष्टीकरण देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अनुरोध कर सकता है।

ख. यदि मध्यस्थ इन उप–विधियों के तहत किए गए अनुरोध को उचित मानता है, तो वह अधिनियम के संदर्भ में सुधार करेगा या व्याख्या देगा और व्याख्या अवार्ड का हिस्सा बनेगी।

ग. मध्यस्थ स्वयं ही निर्णय देने के समय–समय पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर उपरोक्त उप–विधि के उप–खंड (i) में दर्शाए गए प्रकार की त्रुटियों को ठीक कर सकता है। पार्टियों को अवार्ड की एक अशोधित प्रति देने के बाद सुधार किए जाने की स्थिति में ऐसे सुधार की सूचना पार्टियों को दी जाएगी और अवार्ड की सही प्रतियां पार्टियों को दी जाएंगी।

घ. एक पक्ष, दूसरे पक्ष को नोटिस देकर, निर्णय प्राप्त होने की तारीख से उतने दिनों के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अनुरोध कर सकता है, जो समय–समय परलागू एक्सचेंज के प्रासंगिक नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। मध्यस्थ कार्यवाही मे प्रस्तुतदावों के संबंध में एक अतिरिक्त अवार्ड देना, लेकिन मध्यस्थ अवार्ड से हटा दिया गया।

13.34 यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपरोक्त उप–विधि के तहत किए गए अनुरोध को उचित पाता है, तो ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से वह समय–समय पर लागू एक्सचेंज के प्रासंगिक नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट दिनों के भीतर अतिरिक्त मध्यस्थ अवार्ड देगा।

13.35 मध्यस्थ अवार्ड का सम्मान

एक्सचेंज को किसी एक्सचेंज सदस्य के खिलाफ मध्यस्थ अवार्ड/अपीलीय मध्यस्थ अवार्ड प्राप्त होने पर ऐसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सेबी द्वारा निर्धारित की जा सकती है या जो अवार्ड का सम्मान करने के लिए एक्सचेंज के संबंधित नियमों और विनियमों में समय–समय पर प्रदान की जा सकती है।

13.36 मध्यस्थ पंचाट का कार्यान्वयन

ification: Restricted

उप–विधियों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थ अवार्ड या अपीलीय मध्यस्थ अवार्ड एक व्यापारिक सदस्य और/या उसके अधिकृत व्यक्ति के खिलाफ और एक घटक के पक्ष में पारित किया जाता है, एक्सचेंज जमा या अन्य धन से जो एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ है, डेबिटकरेगा। अवार्ड प्राप्तकर्ता को देय अवार्ड की राशि, डेबिट की तारीख तक देय ब्याज, यदि कोई हो, के साथ और उक्त राशि को निपटाने के लिए एक अलग खाते में अलग रखें, जैसाकि इन उप–विधियों में उल्लिखित है।

बशर्ते कि, जहां अवार्ड प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए है, एक्सचेंज अवार्ड की तारीख या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख पर एक्सचेंज पर ऐसी प्रतिभूतियों के समापन मूल्य पर विचार कर सकता है, जो ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य और अवार्ड राशि पर आने के कारणों को बताते हुए उचित हो सकता है।

13.37घटकों को डेबिट की गई राशि का भुगतान

मध्यस्थ अवार्ड :–जहां ट्रेडिंग सदस्य इन उप–विधियों के तहत अनुमत समय के भीतर अपील को प्राथमिकता नही देने का विकल्प चुनता है, इन उप–विधियों के तहत डेबिट की गई राशि, यदि ऐसा हो तो ब्याज सहित अवार्ड प्राप्तकर्ता को भुगतान की जाएगी।

अपीलीय मध्यस्थ अवार्ड :–जहां इन उप–विधियों के तहत ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अपील की जाती है और अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ट्रेडिंग सदस्य के खिलाफ अपीलीय मध्यस्थ अवार्ड देता है, एक्सचेंज इन उप–विधियों के तहत डेबिट की गई राशि से अवार्ड विजेता को सम्मानित राशि का भुगतान करेगा। कानून निम्नलिखित के अधीन है :–

क) जहां ऐसे आवेदन करने की सीमा अवधि के भीतर ऐसे मध्यस्थ अवार्ड को चुनौती देने के लिए ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है;

ख) जहां अधिनियम के तहत ऐसे अपीलीय मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अदालत में आवेदन किया गया है, उसे ऐसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

ग) जहां अधिनियम की धारा 34 के तहत इस तरह के अपीलीय मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अदालत में आवेदन किया गया है, लेकिन जहां आवेदन करने वाले पक्ष को अपीलीय मध्यस्थ अवार्ड प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं दी गई है।

13.38अपीलीय मध्यस्थता

1. इन उप–विधियों के तहत दिए गए मध्यस्थ निर्णय से व्यथित किसी भी पक्ष को निम्नलिखित के संदर्भ में अपील का अधिकार होगा :

   (क) किसी मध्यस्थ निर्णय से व्यथित पक्ष मध्यस्थ अवार्ड की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर एक्सचेंज द्वारा गठित मध्यस्थों के अपीलीय पैनल में ऐसे अवार्ड के खिलाफ अपील कर सकता है।

   (ख) मध्यस्थों के अपीलीय पैनल का ऐसा गठन एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर सेबी द्वारा निर्धारित समय के भीतर, पूर्ण दस्तावेजों और लागू शुल्क के साथ अपील की प्राप्ति की तारीख से पूरा किया जाएगा।

2. इसके बाद एक्सचेंज एक अपीलीय पैनल का गठन करेगा जिसमें तीन मध्यस्थ शामिल होंगे जो उन लोगों से अलग होंगे जिन्होंने मध्यस्थ अवार्ड पारित किया था जिसके खिलाफ अपील की गई थी।

   अपील का निपटारा मध्यस्थों के अपीलीय पैनल की नियुक्ति की तारीख से समय–समय पर सेबी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपीलीय मध्यस्थता अवार्ड जारी करके किया जाएगा।

   सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित सम्बद्ध प्राधिकारी, किसी भी पक्ष या मध्यस्थ के आवेदन पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त कारण के लिए, सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित मध्यस्थ अवार्ड देने के लिए समय बढ़ा सकता है।

3. अवार्ड/अपीलीय मध्यस्थ निर्णय से व्यथित कोई भी पक्ष अधिनियम की धारा 34 के अनुसार अपीलीय अवार्ड को चुनौती देने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में आवेदन दायर कर सकता है।

ification: Restricted

13.39 पूर्ण होने पर हाथ से डिलीवरी द्वारा तामील

हाथ से भेजे गए किसी नोटिस या संचार को नोटिस या संचार देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पार्टी द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा और यह नोटिस की उचित और उचित सेवा का गठन करेगा।

13.40 पूर्ण होने पर डाक या टेलीग्राम द्वारा तामील

डाक या तार द्वारा भेजे गए किसी नोटिस या संचार को पार्टी द्वारा उस समय प्राप्त किया गया माना जाएगा, जब वह डाक या तार के सामान्य तरीके से वितरित किया गया हो। डाकघर से पुष्टिकरण पत्र या पंजीकृत पत्र या तार के लिए डाकघर रसीद या पोस्टिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सभी मामलों में ऐसे नोटिस या संचार की पोस्टिंग या प्रेषण नोटिस की उचित सेवा का निर्णायक प्रमाण होगा।

13.41 पूर्ण होने पर विज्ञापन द्वारा या नोटिस बोर्ड पर नोटिस द्वारा तामील

समाचारपत्र में प्रकाशित या एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट किया गया या एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर या एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कोई नोटिस या संचार उस दिन पार्टी को दिया गया माना जाएगा जिस दिन वह प्रकाशित या पोस्ट किया गया या प्रदर्शित किया गया।

13.42 डिलीवरी स्वीकार करने से इंकार करने से तामील प्रभावित नहीं होती है

नोटिस या संचार की डिलीवरी लेने से इनकार करने से किसी भी स्थिति में इसकी तामील की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

13.43 हानि से सुरक्षा

कोई भी पक्ष एक्सचेंज, संबंधित प्राधिकारी, या उसके अधिकार के तहत काम करने वाले एक्सचेंज के किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के खिलाफ या किसी मामले या किए गए या किए जाने वाले कथित मामले के संबंध में मध्यस्थों के खिलाफ कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं करेगा या मुकदमा नहीं चलाएगा। इन उप–विधियों और विनियमों के तहत किया गया और न ही संदर्भ के लिए अन्य पार्टी या पार्टियों के खिलाफ कोई मुकदमा या कार्यवाही (अवार्ड के प्रवर्तन के लिए छोड़कर) करेगा।

13.44 सचिवीय कर्तव्य

एक्सचेंज निम्नलिखित सहित सचिवीय सहायता प्रदान करेगा–

क. भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदर्भों का एक रजिस्टर बनाना।
ख. भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में अस्वीकृत संदर्भों का रजिस्टर।
ग. मध्यस्थता के पहले या उसके दौरान या अन्यथा उसके संबंध में पार्टियों द्वारा सम्बोधित मध्यस्थता, संदर्भ और संचार के लिए सभी आवेदन प्राप्त करें।
घ. सभी लागतों, शुल्कों, शुल्कों और अन्य खर्चों का भुगतान प्राप्त करें।
ड. मध्यस्थता से पहले या उसके दौरान या उसके संबंध में पार्टियों को सुनवाई और अन्य सभी नोटिस देने की सूचना देना।
च. मध्यस्थ के सभी आदेशों और निर्देशों को पार्टियों को बताएं।
छ. संदर्भ से संबंधित सभी दस्तावेजों और कागजात को प्राप्त करना और रिकॉर्ड करना और पार्टियों को रखने की अनुमति को छोड़कर ऐसे सभी दस्तावेजों और कागजात को अभिरक्षा में रखना; ऐसी अवधि के लिए जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।
ज. मध्यस्थ की ओर से अवार्ड प्रकाशित करें।
झ. अवार्ड और उसमें होने वाले किसी भी बदलाव को संदर्भ रजिस्टर में दर्ज करना।
ञ. आमतौर पर ऐसी सभी चीजें करते हैं और ऐसे सभी कदम उठाते हैं जो मध्यस्थ को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
ट. अपीलों का एक रजिस्टर बनाए रखना और उसमें भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आवश्यक प्रविष्टियां करना।

ification: Restricted

14. अपवाद खंड

क. नियमों, उप–विधियों और विनियमों (नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों) में शामिल कुछ भी उन नियमों, उप–विधियों और विनियमों (पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों) को प्रभावित नहीं करेगा जो नए से पहले लागू और संचालन में थे। नियम, उप–विधि और विनियम किसी भी सौदे और/या संविदाओं, अर्जित और उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों, कार्रवाई/यों निर्णयों, शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही, लंबित, निर्णय या लंबित और/या निर्णय की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में लागू हुए आदि और ऐसे सभी मामले पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों के तहत शासित होते रहेंगे।

ख. नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों के लागू होने के बाद किए गए और/या निष्पादित किए गए सभी सौदे और/या संविदा तथा उनके अनुसार उत्पन्न होने वाले अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, कार्यों की कार्यवाही सहित सभी मामले नए नियमों के अधीन होंगे और एक्सचेंज के नियम, उप–विधि और विनियम तथा एक्सचेंज/सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्र/निर्देश द्वारा शासित होंगे।

ग.**स्पष्टीकरण प्रदान करने की शक्ति**

पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों या नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में किसी कठिनाई की स्थिति में या पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों तथा नए नियमों, उप–विधियों तथा विनियमों के बीच टकराव की स्थिति में यदि परिस्थिति की मांग हो तो एक्सचेंज के पास स्पष्टीकरण प्रदान करने की शक्ति है और ऐसा स्पष्टीकरण अंतिम और सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा।

घ. **पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों का संदर्भ**

नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों के लागू होने पर, पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों के किसी भी संदर्भ को नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों में दिए गए संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में माना जा सकता है, जब तक कि संदर्भ को अन्यथा आवश्यकता होती है।

ification: Restricted